झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022

विषय वस्तु

धारा	अध्याय	पृष्ठ
	अध्याय I प्रारंभिक	
1	संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ	04
2	परिभाषा	04
	अध्याय II बाजारों की स्थापना	
3	विनिर्दिष्ट कृषि उपज और पशुधन विपणन को विनियमित करने के इरादे की अधिसूचना	11
4	संपूर्ण झारखंड राज्य को एक एकीकृत बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित करना	12
5	परिसीमित बाजार क्षेत्र की अधिसूचना	12
6	परिसीमित बाजार क्षेत्र एवं कृषि उपज और पशुधन के वस्तुओं का परिवर्तन समामेलन	12
7	प्रमुख बाजार प्रांगण उप बाजार प्रांगण बाजार उप प्रांगण निजी बाजार प्रांगण निजी बाजार उप.प्रांगण किसान. उपभोक्ता बाजार प्रांगण निजी किसान उपभोक्ता बाजार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म	13
8	विशेष वस्तु बाज़ार प्रांगण की स्थापना और अधिसूचना	14
9	राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण एम०एन०आई० की स्थापना और अधिसूचना	14
10	निजी बाजार प्रांगण की स्थापना	14
11	किसान. उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना ;किसान द्वारा उपभोक्ता को खुदरा में कृषि उपज की सीधी बिक्री	15
12	गोदाम कोष्ठागार शीत भंडार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान का बाजार उप. प्रांगण के रूप में घोषणा करना	16
13	प्रत्यक्ष विपणन ;बाजार प्रांगण उप.बाजार प्रांगण निजी बाजार प्रांगण के बाहर किसानों से थोक प्रत्यक्ष खरीद	16
	अध्याय III बाजार समिति का गठन	
14	बाजार समिति की स्थापना और इसका निगमन	17
15	बाजार समिति में स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति का निहित करना	18
16	बाजार समिति बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण	19
17	प्रथम बाजार समिति का गठन	20
18	द्वितीय एवं प्रवर्ती की बाजार समिति का गठन	21
19	निर्वाचन क्षेत्रों और सीट के आरक्षण के लिए परिसीमित बाजार क्षेत्र का विभाजन	23
20	मतदान करने और कृषक का प्रतिनिधि होने की योग्यता	23
21	चुनाव का प्रावधान	23
22	चुनावों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण	24

23	अध्यक्ष का मनोनयन और उपाध्यक्ष का चुनाव	24
24	अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल	25
25	अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का प्रारंभ	25
26	सदस्यों का इस्तीफा	25
27	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा इस्तीफा और उनके कार्यालय में रिक्ति	25
28	अध्यक्ष को हटाने और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव	26
29	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के विरुद्ध अवकाष और अनुपस्थिति के परिणाम।	27
30	नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को प्रभार सौंपने से इंकार	27
31	कुछ शर्तो के तहत बाजार समिति के रिकॉर्ड और संपति को कब्जे में लेना	27
32	एम०एन०आई० की बाजार समिति की स्थापना और संरचना	28
33	एम०एन०आई० की बाजार समिति के सचिव की नियुक्ति और कार्य।	29
34	एम०एन०आई० की कार्यकारी समिति	29
35	एम०एन०आई० की कार्यकारी समिति के सदस्यों के पद की अवधि	30
36	इस अधिनियम के अन्य प्रावधान राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण पर भी लागू होगें	30
	अध्याय IV अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव एवं बाजार समिति के कार्यों का संचालनए शक्तियां और कर्तव्य	
37	अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य	30
38	उपाध्यक्षं के अधिकार और कर्तव्य	30
39	बाज़ार समिति की बैठक आदि	30
40	बैठक की प्रक्रिया एवं कोरम	31
41	बाजार समिति के अधिकार और कर्तव्य	31
42	उप-समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन	34
43	ऋण लेने की शक्ति	34
44	अपराधों का समाधान	35
45	गैर अदायगी शुल्क आदि को बट्टे खाते में डालने की शक्ति	35
46	बाजार प्रांगण में अतिक्रमण हटाने की शक्ति	35
47	वजन उपकरणों का उपयोग, तौल एवं माप और उनका निरीक्षण	36
48	अनुबंध करने की विधि	36
49	बाजार समिति आदि का कार्रवाई को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए	36
	अध्याय V बाजार समिति के कर्मी	
50	बाजार समिति के सचिव	37
51	सचिव की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य	37
52	लेखापाल की नियुक्ति	38
53	बाजार समिति द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति	38
	अध्याय VI	

	ई-व्यापार	
54	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म की स्थापना/संवर्धन	39
55	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना / नवीनीकरण	39
56	गोदाम/कोष्टागार/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान का एकीकरण, जिसे ई-प्लेटफॉर्म के लिए बाजार उप-प्रांगण घोषित किया गया है।	40
57	निजी बाजार का एकीकरण	40
58	ई-व्यापार प्लेटफॉर्म की आतंरिक संचालन क्षमता	40
59	विक्रेताओं को भुगतान और खातों का संधारन	41
60	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्ति को निलंबन या रद्द करना	41
61	विवाद का निपटारा- (i) धारा 55 (1) के तहत अनुज्ञप्तिधारियों के बीच; तथा (ii) अनुज्ञप्तिधारियों और ए0पी0एल0एम0सी0 के बीच	41
62	राज्यांतरिक लेन देन के संबंध में विवाद का निपटारा।	41
63	अंतर-राज्य व्यापार लेनदेन के संबंध में विवाद का निपटारा	41
	अध्याय VII व्यापार का विनियमन	
64	अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का क्रय विक्रय-लेनदेन	42
65	खरीदने और बेचने की शर्तें और प्रक्रिया	43
66	बाजार शुल्क की वसूली (बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी)	43
67	बाजार समिति द्वारा उपयोग शुल्क की वसूली	44
68	बाजार शुल्क से छूट देने की शक्ति।	45
69	व्यापारियों के अलावा बाजार के प्रतिभागी को अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना	45
70	एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना	46
71	धारा 70 के तहत प्रदत्त/नवीकृत/एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करना	47
72	अंतर-राज्य व्यापार के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान/ नवीकरण करना	48
73	निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण और बाजार उप- प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान / नवीकरण करना ।	49
74	धारा 73 के तहत प्रदत/नवीकृत अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द किया जाना	50
75	प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना।	51
76	प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करना।	51
77	विवाद निपटारा- (i) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच (ii) अनुज्ञप्तिधारी और ए0पी0एल0एम0सी0 के बीच	52
78	अपील	52
79	तदर्थ थोक खरीदार का पंजीकरण	52
80	सिविल न्यायालयों पर अधिकार क्षेत्र	53
	अध्याय VIII बजट और बाजार समिति कोष	

81	बजट की तैयारी और अनुमोदन	53
82	बाजार समिति कोष	54
83	बाजार समिति कोष का उपयोग	55
	अध्याय IX झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन	
84	झारखंड राज्य के कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना	56
85	बोर्ड का निगमन	56
86	झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन	56
87	झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संरचना	57
88	बोर्ड के प्रबंध निदेशक, अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति	57
89	बोर्ड के गैर आधिकारिक सदस्य का कार्यकाल	58
90	आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल	58
91	बोर्ड के सदस्यों के लिए भत्ता	58
92	आकस्मिक रिक्तियों को भरना	58
93	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के इस्तीफे	59
94	पर्षद के सदस्यों की अयोग्यता	59
95	उप-समिति की नियुक्ति	59
96	बोर्ड का अधीक्षण	59
97	बोर्ड के कार्य एवं शक्तियाँ	59
98	विनियमन	61
99	"विपणन विकास कोष"	62
100	बोर्ड द्वारा किया गया भुगतान	62
101	"विपणन विकास कोष" में योगदान	62
102	बॉण्ड या स्टॉक जारी करके ऋण लेना	62
103	बोर्ड द्वारा प्राप्त विपणन विकास कोष का उपयोग	62
104	पर्षद के खातों का लेखा परीक्षण	63
105	शक्तियों का प्रत्यायोजन	64
106	अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी का पर्यवेक्षण और नियंत्रण	64
107	प्रबंध निदेशक के कार्य एवं शक्तियां	64
108	पर्षद के कार्यकलापों का संचालन	65
109	बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियाँ	65
	अध्याय X निदेशक की नियुक्ति, अधिकार एवं शक्तियाँ	
110	कृषि विपणन निदेशक की नियुक्ति	65
111	कृषि विपणन निदेशक की शक्ति और कार्य	65
112	चक्रीय विपणन विकास कोष	67
113	कृषि विपणन निदेशक के कार्यालय और कर्मचारी	67
	अध्याय XI	

	दंड	
114	अधिनियम नियमों और उपविधि के उल्लघन के लिए जुर्माना	67
115	बाजार की बकाया राशि की वसूली	67
116	अपराधों का संज्ञान	68
	अध्याय XII नियंत्रण	
117	निरीक्षण, पूछताछ, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आदि	69
118	उपाध्यक्ष या बाजार समिति के सदस्य को हटाने के लिए निदेशक की शक्तियाँ	70
119	बाजार समिति का अधिक्रमण	70
120	बाजार समिति के अधिक्रमण का परिणाम	70
121	बोर्ड का अधिक्रमण	71
122	बोर्ड के अधिक्रमण का परिणाम	71
123	बाजार समिति उपविधियों में संशोधन हेतु निर्देश के लिए निदेशक की शक्ति	72
124	बाजार समिति द्वारा किये गये प्रस्ताव या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन पर रोक लगाने के लिए प्रबन्ध निदेशक की शक्ति	72
125	बाजार समिति और प्रबंध निदेशक/निदेशक को कार्यवाही के लिए बुलाने की शक्ति	73
126	नुकसान, बर्बादी या हेराफेरी आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की देयता।	73
127	अनुसूची में संशोधन के लिए सरकार/प्रशासन की शक्ति।	74
128	दिशा-निर्देश देने के लिए सरकार/प्रशासन की शक्ति।	75
129	बोर्ड/बाजार समिति के बकाया रकम की वसूली	75
130	बाजार समिति और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और सेवक इत्यादि लोक सेवक होंगे	75
131	सरकार/प्रशासन द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन	75
132	सिविल मुकदमा से रोक और अच्छे नीयत से कार्य करने वाले व्यक्ति को संरक्षण	75
133	सूचना के अभाव में मुकदमा करने पर रोक	75
134	जानकारी और सहायता देने के लिए स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य	76
135	अधिनियम को अनौपचारिकता, रिक्ति आदि द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता	76
	अध्याय XIII नियम और उपनियम	
136	नियम बनाने की शक्ति	76
137	उप-विधि बनाने की शक्ति	79
	अध्याय XIV निरसन और बचाव	
138	निरसन और बचाव	80
139	कठिनाई को दूर करने की शक्ति	

झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022

झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 झारखण्ड और देश भर में पशुधन सहित कृषि उपज के भौगोलिक रूप से प्रतिबंध मुक्त व्यापार लेनदेन; किसानों को अपनी उपज को समय और स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता देने; इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी के अन्य नवीन रूप को अपनाने के माध्यम से व्यापार संचालन और मूल्य निपटान तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए; प्रतिस्पर्धी विपणन, कृषि-प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के लिए कई माध्यमों के उद्भव को बढ़ावा देने के लिए; झारखंडराज्य में बाजारों और विपणन आधारभूत संरचना के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और जहां यह इसके लिए सुगमकारी विनियमन, पेशेवर प्रबंधन और अनुकूल नीति के संरचना और उसके साथ जुड़े उद्देश्यों के लिए और प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पूरा करने के लिए समीचीन हो, के लिए एक विधेयक बनाने निमित प्रस्तावित विधेयक है।

उद्देश्य और कारण काविवरण -1. किसी भी अन्य उद्यम की तरह कृषि तभी सतत हो सकती है, जब यह उत्पादक को शुद्ध सकारात्मक लाभ दे सके। बाजार एक जगह है, जहां एक उत्पाद का लेन-देन किया जाता है और प्रति इकाई मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मूल्य एक किसान-उत्पादक को मिलता है। चूंकि किसान की आय पर मूल्य प्रतिफल कम होता है, कृषि बाजार और विपणन दक्षता महत्वपूर्ण हो जाती है। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण में, यह राज्य के मौजूदा बाजार ढांचे को और अधिक प्रतिस्पर्धी विपणन वातावरण में लाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। उत्पादकता के स्तर में सुधार और कृषि/उत्पादन की कम लागत के साथ यह कृषि विकास, किसानों के कल्याण, उत्पादक रोजगार और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकता है। देश में संगठित थोक विपणन को राज्यों केकृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयकों के प्रावधानों के तहत स्थापित विनियमित बाजारों के एक नेटवर्क के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। इन बाजार संरचनाओं का उद्देश्य किसान-उत्पादक को मूल्य पारिश्रमिक हस्तांतरित करने की दृष्टि से, लेन-देन के विनियमन और लेनदेन में पारदर्शिता लाना है। समय के साथ, हालांकि, इन बाजारों को काफी हद तक प्रतिबंधात्मक और एकाधिकार प्रदान किया गया है, जो कि इच्छित उद्देश्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, मौजूदा नियामक ढांचा कृषि उपज के मुक्त प्रवाह का समर्थन नहीं करता है; और प्रोसेसर/निर्यातकों/थोक खरीदारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ किसानों का प्रत्यक्ष इंटरफ़ेस प्रदान नहीं करता है, और इसी कड़ी में बड़ी संख्या में बिचौलियों को आने देता है जो मूल्य शृंखला के साथ कोई मूल्य नहीं प्रदान कर करते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यह न तो किसानों के लिए फायदेमंद है और न ही उपभोक्ताओं के हितों को पूरा करता है। भारत की कृषि उपज की प्रोफाइल बदल रही है। यह बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में उच्च स्तर के आउटपुट के साथ अधिक महानगरीय हो रहा है, इसके अलावा निश्चित रूप से अनाज, दालों और तिलहन की मात्रा बढ़ रही है। 1991 में देश के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद से, यह राज्य अपने परिवहन और संचार आधारभूत संरचना में बदलाव के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्ट फोन के प्रवेश और युवाओं में अधिक प्रौद्योगिकी-मित्रता का अनुभव कर रहा है, जो जनसांख्यिकी पर हावी हैं। बढ़ती क्रय शक्ति, गतिशीलता और स्वाद और अधिमानता में बदलाव के साथ, अधिक जानकारी और जागरूकता से युक्त उपभोक्ता तर्कसंगत मूल्य पर गुणवत्ता और वैकल्पिक उत्पादों की मांग करने लगे हैं। राज्य में आज भी प्रतिबंधात्मक और एकाधिकार केंद्रित कृषि बाजार संरचना मौजूद है, जो उत्पादकों को उनके कृषि जिंस के स्थान, समय और रुप मूल्य के आर्थिक लाभों का फायदा लेने की अनुमति देने में सक्षम नहीं है।

2. इन बाधाओं को अधिक उदार और प्रगतिशील कानून, जो मुक्त प्रतिस्पर्धा की अनुमति देता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जगह और समय पर वस्तुओं के प्रवाह की सुविधा देता है और बाजार के कार्यकर्ताओं द्वारा कई विपणन माध्यमों के संचालन को प्रोत्साहित करता है, के द्वारा वर्तमान बाजार संरचना और इसके नियामक ढाँचे की जगह लेने से दूर किया जा सकता है। आवश्कता है राज्य के लिए एक बाधा रहित एकीकृत कृषि बाजार की।कृषि की संरचना बदल रही है और यह क्षेत्र

अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, बागवानी फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन आदि वाणिज्यिक फसलों के क्रम में विविधीकरण कर रहा है। इसलिए यह उचित है कि एक फिर से तैयार और व्यापक विधेयक, जो कि खंडित बाजारों को एकीकृत करने में संवर्धन और सुगमकारी है, को अपनाया जाए। इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि खंडित सुधारों के लिए छिटपुट संशोधन एक बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। आज के समय राज्य की अर्थव्यवस्था, पहले की तुलना में राष्ट्रीय/वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकृत है। इसलिए, मॉडल ए0पी0एम0सी0 अधिनियम, 2000 और 2008 के प्रावधानों में एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।

3. झारखण्ड राज्यकृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 की मुख्य विशेषताएं हैं:-

(i) जहाँ तक कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति (ए0पी0एल0एम0सी0) (झारखंड राज्यस्तरीय एकल बाजार) द्वारा नियमन के प्रवर्तन का संबंध है, अब तक के अधिसूचित बाजार क्षेत्र के अवधारणा को समाप्त कर झारखंड राज्य के भीतर खंडित बाजार का उन्मूलन।

(ii) बाजार समिति और झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पूर्ण लोकतंत्रीकरण।

(iii) प्रोसेसर, निर्यातकों, थोक खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के साथ किसानों के एकीकरण द्वारा खाद्य आपूर्तिशृंखला का निर्बाधकरण

(iv) इस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषि विपणन निदेशक और प्रबंध निदेशक केबीच शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन करना, इस उद्देश्य के साथ कि विधेयक के तहत कृषि विपणन निदेशक मुख्य रुप से नियामक कार्यों को पूरा करेंगे, जबकि प्रबंध निदेशक अनिवार्य रुप से विकासात्मक जिम्मेदारियोंको निभाएंगे।

(v) निजी थोक बाजार प्रांगण और किसान उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना और संचालन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, ताकि किसान के लाभ के लिए विभिन्न बाजारों और बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसान की उपज के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके।

(vi) किसानों और प्रोसेसर/निर्यातकों/थोक विक्रेताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष इंटरफ़ेस को बढ़ावा देना ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए मूल्य वृद्धि को कम किया जा सके।

(vii) किसानों को बेहतर बाजार पहुंच/लिंकेज प्रदान करने के लिए गोदामों/कोष्ठागार/शीतगृह और अन्य संरचनाओं/स्थान को बाजारउप-प्रांगण के रूप में घोषित करना।

(viii) किसानों को अपनी पसंद के स्थान और समय पर, जिससे कभी भी और जहाँ भी उन्हें बेहतर दाम मिलें,किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देना।

(ix) व्यापार संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने और भौगोलिक क्षेत्रों में बाजारों के एकीकरण के लिए ई-व्यापारको बढ़ावा देना।

(x) राज्य भर में बाजार शुल्क के एकल बिंदु लेवी के लिए प्रावधान और लागत प्रभावी लेन-देन सुनिश्चितकरने के लिए एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति।

(xi) अंतर-राज्य व्यापारअनुज्ञप्ति, ग्रेडिंग और मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के प्रावधान के माध्यम से कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देना।

(xii) बाजार शुल्क और कमीशन शुल्क का युक्तिकरण।

(xiii) राष्ट्रीय महत्व (एम0एन0आई0) के विशेष वस्तु बाजारप्रांगण और बाजार प्रांगण के लिए प्रावधान।

(xiv) ए0पी0एम0सी0 के साथ साथ निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और प्रत्यक्ष विपणन के अनुज्ञप्तिधारियों को एक स्तर का व्यापार क्षेत्र उपलब्ध कराना और यदि विकास और विनियामक कार्य दोनों एक ही प्राधिकरण में केंद्रित हैं, तो हितों के टकराव को, जो बाद में ए0पी0एम0सी0 द्वारा किए जाने की संभावना है, को दूर करना।

भारतीय गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय I

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1 (1) इस अधिनियम को "झारखंडराज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार पूरे राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार के द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से, निर्धारित तिथि पर लागू होगा।

परिभाषा

2 इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ असंगत न हो

(1) "प्रशासन" का अर्थ है झारखण्ड प्रदेश के तहत प्रशासन;

(2) "तदर्थ क्रेता" के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 79 के तहत पंजीकृत होने वाले क्रेता शामिल है;

(3) "कृषि उपज" के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि, बागवानी, धुमक्खी पालन, वन निजी भूमि पर लगाए पेड़ों को छोड़कर, के सभी उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे प्रसंस्कृत हों या न हों,

(4) "कृषक" का आशय एक व्यक्ति से है जो स्वयं या किराए के श्रमिक द्वारा या अन्य प्रकार से रैयत सहित कृषि उपज के उत्पादन सहित पशुपालन में लगा हुआ है।

"कृषक" के अंतर्गत किसानों के संघ, जो चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हों और जो कि दस्यकिसानों की उपज के एकत्रीकरण पशुधन सहित में संलग्न होते है; भी शामिल हैं।

(स्पष्टीकरणः यदि कोई प्रश्न उठता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, ऐसा व्यक्ति चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो जो कृषि उपज के उत्पादन और/या पशुपालन में लगा हुआ है, जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिला के भू-राजस्व के प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा, भूमि धारक और रैयत की अभिव्यक्तियों का आषय उन्हें झारखण्ड राज्यों के संबंधित भूमि सुधार अधिनियम में प्रदत अर्थ होगा।)

(5) "असेयिंग लैब" का आशय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता के मापदंडों का परीक्षण करने के लिए व्यवसायिक मापदंडों याग्रेड-मानकों या किसी अन्य मापदंडों, निर्धारित नियमों/उप-विधयों/ दिशा निर्देशों/निर्देशों के अनुसार एक प्रयोगशाला की स्थापना से है।

(6) "बोर्ड" का आशय राज्य सरकार द्वारा स्थापित कृषि विपणन बोर्ड से है;

(7) "क्रेता" का आशय एक व्यक्ति से है, जो बाजार में स्वयं या किसी व्यक्ति या एजेंट की ओर से पशुधन सहित कृषि उपज खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है;

(8) "उपविधि" का आशय, इस अधिनियम के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण (आंे) या अन्य उप-बाजार प्रांगण (ओं) के संबंध में इसके प्रबंधन के तहत, व्यापार के नियमन और इसके अंतर्गत व्यापार की शर्तों के लिए उपविधि बना सकती है; से है।

(9) "शीत भंडार" का आशय, इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगणघोषित किये गये शीत भंडार से है;

(10) "कमीशन एजेंट" का आशय उस व्यक्ति से है जो अपने मूलधन पर पशुधन सहित कृषि उपज खरीदता या बेचता है, या ई-प्लेटफॉर्म या लेनदेन और सहायक गतिविधियों के अन्य तरीकों पर प्राथमिक और लेनदेन के अन्य स्तरों पर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, इसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और इसकी बिक्री या खरीद की प्रक्रिया के दौरान इसे नियंत्रित करता है, और यदि आवश्यक हो, तो खरीदार से भुगतान लेता है और विक्रेता को भुगतान करता है, और ऐसे लेनदेन में शामिल राशि पर कमीशन या प्रतिशत के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त करता है ;

(11) "समाहर्ता" का आशय जिला समाहर्ता/उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी से है;

(12) "बाजार क्षेत्र का परिसीमन" का आशय, धारा 5 के तहत बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र और वहां विपणन संबंधी विकास का कार्य करने से है;

(13) "निदेशक" का आशय, झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों या नियमों के तहत कृषि विपणन निदेशक के शक्तियों याकार्यों का प्रयोग और/या संपादन, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित है करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त कृषि विपणन निदेशक या किसी अन्य अधिकारी, झारखंड राज्य सरकार के कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक को छोड़कर, से है;

(14) कृषि उपज के संबंध में "प्रत्यक्ष विपणन" का आशय, इस अधिनियम की धारा13 के तहत, प्रोसेसर, निर्यातकों, थोक खरीदारों आदि द्वारा मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के बाहर किसानों से कृषि उपज की प्रत्यक्ष थोक खरीद से है;

(15) "इलेक्ट्रॉनिक व्यापार" का आशय, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर की जाने वाली पंजीकरण, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध, संवाद, सूचना का आदान-प्रदान, रिकॉर्ड रखना और अन्य जुड़ी गतिविधियाँ से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर

पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार किया जाता है;

(16) "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म" का आशय झारखंड राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वाराधारा 54 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संचार के किसी भी माध्यम से पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म जिसमें पंजीकरण, खरीद और बिक्री, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध और मोलभाव,कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट या किसी अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है, से है;

(17) "निर्यात" का आशय भारत के बाहर पशुधन सहित कृषि उपज के भेजने से है;

(18) "किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण" का आशय इस अधिनियम की धारा11 के तहत स्थापित बाजार प्रांगण से है;

(19) "किसान-उत्पादक कंपनी (एफ0पी0सी0)" का आशय भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा प्ग्। में परिभाषित किसान-उत्पादक सदस्यों की एक कंपनी से है, जो किसी भी संशोधन के साथ, फिर से लागू करने और कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ निगमित है;

(20) "सरकार" का आशय झारखंडराज्य सरकार से है;

(21) "सरकार/प्रशासन एजेंसी" का आशय इस अधिनियम के तहत स्थापित या गठित झारखंड राज्य कृषि विपणन विभाग/निदेशालय, झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जे0एस0ए0एम0बी0), कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति (ए0पी0एल0एम0सी0) से है;

इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ असंगत न हो

(1) "प्रशासन" का अर्थ है झारखण्ड प्रदेश के तहत प्रशासन;

(2) "तदर्थ क्रेता" के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 79 के तहत पंजीकृत होने वाले क्रेता शामिल है;

(3) "कृषि उपज" के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्टकृषि, बागवानी, धुमक्खी पालन, वन निजी भूमि पर लगाए पेड़ों को छोड़कर, के सभी उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे प्रसंस्कृत हों या न हों,

(4) "कृषक" का आशय एक व्यक्ति से है जो स्वयं या किराए के श्रमिक द्वारा या अन्य प्रकार से रैयत सहित कृषि उपज के उत्पादन सहित पशुपालन में लगा हुआ है।

"कृषक" के अंतर्गत किसानों के संघ, जो चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हों, और जो कि दस्यकिसानों की उपज के एकत्रीकरण पशुधन सहित में संलग्न होते है; भी शामिल हैं।

(स्पष्टीकरणः यदि कोई प्रश्न उठता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, ऐसा व्यक्ति चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो जो कृषि उपज के उत्पादन और/या पशुपालन में लगा हुआ है, जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिला के भू-राजस्व के

प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा, भूमि धारक और रैयत की अभिव्यक्तियों का आषय उन्हें झारखण्ड राज्यों के संबंधित भूमि सुधार अधिनियम में प्रदत्त अर्थ होगा।)

(5) "असेयिंग लैब" का आशय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित गुणवता के मापदंडों का परीक्षण करने के लिए व्यवसायिक मापदंडों याग्रेड-मानकों या किसी अन्य मापदंडों, निर्धारित नियमों/उप-विधयों/ दिशा निर्देशों/निर्देशों के अनुसार एक प्रयोगशाला की स्थापना से है।

(6) "बोर्ड" का आशय राज्य सरकार द्वारा स्थापित कृषि विपणन बोर्ड से है;

(7) "क्रेता" का आशय एक व्यक्ति से है, जो बाजार में स्वयं या किसी व्यक्ति या एजेंट की ओर से पशुधन सहित कृषि उपज खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है;

(8) "उपविधि" का आशय, इस अधिनियम के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण (आं) या अन्य उप-बाजार प्रांगण (आँ) के संबंध में इसके प्रबंधन के तहत, व्यापार के नियमन और इसके अंतर्गत व्यापार की शर्तों के लिए उपविधि बना सकती है; से है।

(9) "शीत भंडार" का आशय, इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगण घोषित किये गये शीत भंडार से है;

(10) "कमीशन एजेंट" का आशय उस व्यक्ति से है जो अपने मूलधन पर पशुधन सहित कृषि उपज खरीदता या बेचता है, या ई-प्लेटफॉर्म या लेनदेन और सहायक गतिविधियों के अन्य तरीकों पर प्राथमिक और लेनदेन के अन्य स्तरों पर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, इसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और इसकी बिक्री या खरीद की प्रक्रिया के दौरान इसे नियंत्रित करता है, और यदि आवश्यक हो, तो खरीदार से भुगतान लेता है और विक्रेता को भुगतान करता है, और ऐसे लेनदेन में शामिल राशि पर कमीशन या प्रतिशत के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त करता है ;

(11) "समाहर्ता" का आशय जिला समाहर्ता/उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी से है;

(12) "बाजार क्षेत्र का परिसीमन" का आशय, धारा 5 के तहत बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र और वहां विपणन संबंधी विकास का कार्य करने से है;

(13) "निदेशक" का आशय, झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों या नियमों के तहत कृषि विपणन निदेशक के शक्तियों याकार्यों का प्रयोग और/या संपादन, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित है करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त कृषि विपणन निदेशक या किसी अन्य अधिकारी, झारखंड राज्य सरकार के कृषि

विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक को छोड़कर, से है;

(14) कृषि उपज के संबंध में "प्रत्यक्ष विपणन" का आशय, इस अधिनियम की धारा13 के तहत, प्रोसेसर, निर्यातकों, थोक खरीदारों आदि द्वारा मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के बाहर किसानों से कृषि उपज की प्रत्यक्ष थोक खरीद से है;

(15) "इलेक्ट्रॉनिक व्यापार" का आशय, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर की जाने वाली पंजीकरण, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध, संवाद, सूचना का आदान-प्रदान, रिकॉर्ड रखना और अन्य जुड़ी गतिविधियाँ से है जिसमंे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार किया जाता है;

(16) "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म" का आशय झारखंड राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा धारा 54 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संचार के किसी भी माध्यम से पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म जिसमें पंजीकरण, खरीद और बिक्री, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध और मोलभाव, कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट या किसी अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है, से है;

(17) "निर्यात" का आशय भारत के बाहर पशुधन सहित कृषि उपज के भेजने से है;

(18) "किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण" का आशय इस अधिनियम की धारा11 के तहत स्थापित बाजार प्रांगण से है;

(19) "किसान-उत्पादक कंपनी (एफ0पी0सी0)" का आशय भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा प्ग्। में परिभाषित किसान-उत्पादक सदस्यों की एक कंपनी से है, जो किसी भी संशोधन के साथ, फिर से लागू करने और कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ निगमित है;

(20) "सरकार" का आशय झारखंड राज्य सरकार से है;

(21) "सरकार/प्रशासन एजेंसी" का आशय इस अधिनियम के तहत स्थापित या गठित झारखंड राज्य कृषि विपणन विभाग/निदेशालय, झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जे0एस0ए0एम0बी0), कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति (ए0पी0एल0एम0सी0) से है;

(22) "अनुज्ञप्ति" का आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिया गया अनुज्ञप्ति से है;

(23) "अनुज्ञप्तिधारी" का आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति से है;

(24) "पशुधन" का आशय अनुसूची में विनिर्दिष्ट गाय, भैंस, बैल, बैल, बकरी और भेड़, और इसमें मुर्गी, मछली और इस तरह के अन्य जानवर और उत्पाद से हैं;

(25) "प्रबंध निदेशक" का आशय झारखंड राज्य सरकार द्वारा झारखंड

राज्य के कृषि विपणन के प्रबंध निदेशक या मुख्य प्रशासक या प्रशासकया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव, या इसे जिस नाम से भी जाना जाता हो, की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और/या संपादन करने के लिए, नियुक्त राज्य के कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, कृषि विपणन निदेशक को छोड़कर, से है;

(26) "बाजार समिति" का आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या मौजूदा विनियमन के तहत स्थापित कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति से है;

(27) कृषि उपज के संबंध में "विपणन" का आशय उन गतिविधियों से है जो कृषि उपज के कटाई से लेकर उत्पादन और अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचने तक के चरण यथा ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण के चैनल और प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी कार्यों से हैं;

(28) "बाजार उप -प्रांगण" का आशय गोदाम/कोष्टागार/शीत भंडार या ऐसी अन्य संरचना या स्थान से है जोधारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगण घोषित है या बाजार उप-प्रांगण घोषित किया जाना है;

(29) परिसीमित बाजार क्षेत्र के संबंध में "बाजार प्रांगण" का आशय ऐसे परिसीमित बाजार क्षेत्र में सरकार / प्रशासन द्वारा अधिसूचित, और कृषि उत्पादन और पशुधन बाजार समिति द्वारा प्रबंधित और संचालित प्रधान बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण से है;

(30) "राष्ट्रीय महत्व का बाजार प्रांगण" का आशय इस अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिसूचित बाजार प्रांगण से है;

(31) "राष्ट्रीय कृषि बाजार (एन0ए0एम0)" का आशय एक एकीकृत बाजार से है, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के उस समय के लिए लागू किसी भी कानून के, जहां पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की खरीद और बिक्री और संबंधित गतिविधियां भारत में किसी भी समय और स्थान पर विपणन उपयोग्यता का उपयोग करके की जाती है;

(32) "अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन" का आशय अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्टकृषि उत्पाद और पशुधन से है;

(33) एक व्यापारी के संबंध में "ओवर ट्रेडिंग" का आशय, किसी भी समय खरीदी गई पशुधन सहित कृषि उपज के मूल्य से अधिक राशि के साथ साथउसके द्वारा बाजार समिति में जमा की गई सुरक्षा राशि या प्रस्तुत बैंक गारंटी की राशि से अधिक से है।

(34) "व्यक्ति" में व्यक्ति, एक सहकारी समिति, हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी या फर्म या एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या न हो;

(35) कृषि उपज के संबंध में "छोटा व्यापारी" का आशय इस अधिनियम के तहत एक गैर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी से है जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट और झारखंड राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में विनिर्दिष्ट

अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में कृषि उपज की खुदरा में खरीद या बिक्री नहीं कर सकता है;

(36) "निर्धारित" का आशय इस अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों और/या उपविधि से है;

(37) "निजी बाजार प्रांगण" का आशय इस अधिनियम की धारा 10 के तहत स्थापित बाजार प्रांगण से है;

(38) "प्रसंस्करण इकाई" का आशय इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगण घोषित प्रसंस्करण इकाई से है;

(39) कृषि उपज के संबंध में "प्रोसेसर" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी अधिसूचित कृषि उपज का प्रसंस्करण अपने हिसाब से या किसी शुल्क के भुगतान पर करता है

(40) "पंजीकरण" का आशय अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पंजीकरण से है;

(41) "विनियमन" का आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 98 के तहत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियमन से है;

(42) एक अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में "खुदरा बिक्री" का आशय, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट और झारखंड राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मात्रा से अधिक नहीं होने वाली बिक्री से है;

(43) "चक्रीय विपणन विकास कोष" का आशय इस अधिनियम की धारा 112 (1) के तहत निदेशक द्वारा अनुरक्षित गैर-व्ययगत निधि से है;

(44) "नियम" का आशय झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम से है;

(45) "विक्रेता" से आशय उस व्यक्ति से है जो मान्य मूल्य पर कृषि उपज पशुधन सहित बेचता है या बेचने के लिए सहमत है;

(46) "अनुसूची" का आशय इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची से है;

(47) "कोष्टागार" का आशय इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगण के रूप में घोषित कोष्टागार से है;

(48) "विशिष्ट वस्तु बाजार प्रांगण" का आशय इस अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित बाजार प्रांगण है;

(49) "व्यापारी" का आशय एक व्यक्ति जो स्वयं या एक या अधिक व्यक्तियों के एजेंट के रूप में बिक्री, प्रसंस्करण, विनिर्माण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, घरेलू खपत के उद्देश्य को छोड़कर जैसा भी मामला हो, अधिसूचित कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है खरीदता है; (50) "वर्ष" का आशय, झारखंड राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वर्ष से है;

(51) "वेयरहाउस" का आशय, इस अधिनियम की धारा 12 के तहत घोषित बाजार उप-प्रांगण से है।

अध्याय II

बाजार की स्थापना

विनिर्दिष्टकृषि उपज और पशुधन विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना 3

(1) सरकार/प्रशासन, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, झारखंड राज्य में, जैसा की अधिसूचना में निर्धारित है, इस तरह के कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकता है। अधिसूचना को व्यापक रूप से परिचालित प्लेटफार्मों/मीडिया यथा समाचार पत्रों, वेबसाइटों और इस तरह के अन्य प्रारुपों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रकाशित करके इच्छुक जनता की जानकारी में लाया जा सकता है:

परन्तुक कि नगरपालिका बोर्ड या नगरपालिका परिषद के परामर्श को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, नगरपालिका की सीमा के भीतर कोई भी क्षेत्र इस अधिनियम के तहत विनियमन के लिए शामिल नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना यह बताएगा कि कोई भी आपति या सुझाव जो वैसी अवधि जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो तीस दिनों से कम न हो, के भीतर झारखंड सरकार प्राप्त करेगी, जिसपर झारखंड सरकार विचार करेगी।

(3) झारखंड सरकार, स्थानीय निकायों के साथ पंचायती राज संस्थाओं (पी0आर0आई0) के द्वारा धारित एवं संचालितकृषि क्षेत्र और पशुधन के विपणन के लिए ग्रामीण आवधिक बाजारों या हाटों या अन्य ऐसे बाजारों में जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस अधिनियम के विनियमन के तहत ऐसे बाजारों को लाने के लिए, ताकि इन बाजारों को खेतों के निकट कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले विपणन मंच के रूप में विकसित करने के लिए, परामर्श आयोजित कर सकते हैं।

संपूर्ण झारखंड राज्य को एक एकीकृत बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित करना 4

धारा 3 के तहत की गई अधिसूचना के अधीन और ऐसी आपतियों और सुझावों जो किसी भी स्रोत से ऐसी अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त हो सकते हैं, पर विचार करने के बाद, झारखंड सरकार, एक अन्य अधिसूचना द्वारा, पूरे राज्य को इस अधिनियम के धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रकार की कृषि उपज और पशुधन के विपणन के उद्देश्य से एक एकीकृत बाजार क्षेत्र घोषित कर सकती हैं, जैसा कि धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

व्याख्याः अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन के नियमन के लिए संपूर्ण झारखंड राज्य के लिए एक घोषित बाजार क्षेत्र होगा।

परिसीमित बाजार क्षेत्र की अधिसूचना 5

धारा 3 और 4 में किए गए प्रावधान के अधीन, झारखंड सरकार परवर्ती अधिसूचना के द्वारा, एक बाजार समिति के लिए एक भौगोलिक बाजार क्षेत्र के रूप में, ऐसे बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से एक परिसीमित बाजार क्षेत्र के रूप में और उसमें विनियमन एवं विपणन

विकास संबंधी गतिविधियाँ कर सकता है।

व्याख्याः बाजार समिति अपने परिसीमित बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित नहीं करेगी। बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण (ओं) और बाजार उप-प्रांगण (ओं) के भीतर अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का विपणन नियमन को लागू करेगी।

परिसीमित बाजार क्षेत्र एवं कृषि उपज और पशुधन के वस्तुओं का परिवर्तन/समामेलन

6 (1) धारा 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन, झारखंड सरकार किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को किसी भी परिसीमित बाजार क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं या इसमें एक अतिरिक्त क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, या एक परिसीमित बाजार क्षेत्र का दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं या दो या अधिक ऐसे क्षेत्रों को एक परिसीमित बाजार क्षेत्र में समामेलित कर सकते हैं, या किसी अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को विनियमन से बाहर कर सकते हैं, या किसी भी कृषि उपज और पशुधन, जो इसके लिए विनियमित नहीं हैं को, इस अधिनियम के तहत विनियमन हेतु शामिल कर सकते हैं।

(2) परिसीमित बाजार क्षेत्र या कृषि उपज और पशुधन की वस्तुओं के परिवर्तन, यदि कोई हो तो, के बाद, धारा 6 के तहत, निदेशक के लिए इस धारा के तहत कोई भी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उसे किसी भी क्षेत्र को किसी भी बाजार समिति के बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता हो।

प्रमुख बाजार प्रांगण, उप बाजार प्रांगण, बाजार उप प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप-प्रांगण, किसान- उपभोक्ता बाजार प्रांगण, निजी किसान उपभोक्ता बाजार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

7 (1) झारखंड राज्य में निम्न हो सकते हैं-

क) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित प्रमुख बाजार प्रांगण;

ख) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित उप बाजार प्रांगण;

ग) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित बाजार उप-प्रांगण;

घ) धारा 10 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार प्रांगण;

ड.) धारा 12 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार उप-प्रांगण;

च) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण;

छ) निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, एक व्यक्ति जो धारा 11 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त है द्वारा प्रबंधित किया जाता है;

ज) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।

(2) झारखंड सरकार धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, एक अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत, अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या

अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रुप से या अंर्तनिहित, विपणन के नियमन के उद्देश्य से, परिसीमित बाजार क्षेत्र में किसी भी 'स्थान' को बाजार समिति द्वारा प्रबंधित, जैसा भी मामला हो, प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण याकिसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषित करेगा।

व्याख्याः इस उप धारा (2) में, व्यक्त 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्टागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो परिसीमित बाजार क्षेत्र के बाजार समिति में निहित हैं।

(3) झारखंड सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रुप से या अंर्तनिहित, विपणन के लिए, धारा 73 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त एक जगह को, जैसा कि मामला हो सकता है, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप प्रांगण, निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रुप में घोषणा कर सकता है।

व्याख्याः इस उप धारा (3) में, व्यक्त 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्टागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो इस अधिनियम के उद्देश्य के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति के लिए निहित हैं।

"विशेष वस्तु बाज़ार प्रांगण" की स्थापना और अधिसूचना

8 (1) झारखंड सरकार धारा 7 (2) के तहत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार प्रांगण को "विशेष वस्तुबाजार प्रांगण" के रूप में नामित कर सकता है या किसी भी बाजार प्रांगण को "विशेष कृषि उपज और पशुधन एवं विशेष आधारभूतढांचे की आवश्यकताओं के पहलुओं पर विचार करने के बाद "विशेष वस्तुबाजार प्रांगण" के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकता है। जो निम्न हो सकते हैं-

i) फल, सब्जियाँ और फूलों के बाजार, जिसमें प्याज बाजार, सेब बाजार, नारंगी बाजार और ऐसे अन्य बाजार शामिल हैं;

ii) कपास बाजार;

iii) औषधीय और सुगंधित पौधों का बाजार;

iv) पशुधन बाजार जिसमें ऊंट बाजार, मछली बाजार, पोल्ट्री बाजार और अन्य ऐसे बाजार शामिल हैं; अथवा

v) इस प्रकार के अन्य बाजार।

(2) बाजार समिति के लिए और इसके संबंध में बनाए गए सभी प्रावधान और अधिनियम यथोचित परिवर्तनों सहित "विशेष वस्तुबाजार प्रांगण" के लिए स्थापित बाजार समिति के लिए लागू होंगे।

"राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण (एम0एन0आई0)" की स्थापना और अधिसूचना	9	झारखंड सरकार धारा 7 (2) के तहत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार प्रांगण को "राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण" के रूप में नामित और अधिसूचित कर सकता है या किसी भी बाजार प्रांगण को मूल्य, उर्ध्वप्रवाह ग्रहण क्षेत्र, अनुप्रवाही सेवा प्रदान किए गए उपभोक्ताओं की संख्या और इसके लिए आवश्यक विशेष आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं के पहलुओं पर विचार करने के बाद "राष्ट्रीय महत्व बाजार प्रांगण" के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकता है। परन्तुक कि बाजार प्रांगण को, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे वार्षिक टन भार या इस तरह के वार्षिक मूल्य से कम नहीं रखा जाए, जैसा कि "राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण" के स्तर पर दिये जाने के लिए विचार किया जा सकता है। परन्तुक कि इस तरह के वार्षिक टन भार या ऐसे वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत का आगत कम से कम दो अन्य राज्यों से हो।
निजी बाजार प्रांगण की स्थापना	10	(1) ऐसी उचित शर्तों और इस तरह निर्धारित किये जा सकने वाले शुल्कके अधीन, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के व्यापार के लिए एक व्यक्ति को एक निजी बाजार प्रांगण स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है। (2) निजी बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, या इसकी प्रबंधन समिति, जिस भी नाम से बुलाया जाता हो, वह अनुज्ञप्ति प्राप्त निजी बाजार प्रांगण में काम करने के लिए कमीशन एजेंटों और अन्य बाजार अधिकारियों को पंजीकृत कर सकता है। (3) निजी बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, या इसकी प्रबंधन समिति, निजी बाजार प्रांगण में संपादित अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के क्रय-विक्रय पर उपयोग शुल्क, वसूल कर सकती है। परन्तुक कि कृषक-विक्रेता से कोई उपयोग शुल्क नहीं लिया जाएगा। परन्तुक कि झारखंड सरकार जनहित में, समय समय पर, अधिसूचना द्वारा उपयोग शुल्क की दर की उच्चतम सीमा निर्धारित करेगी। (4) निजी बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीयविपणन विकास कोष" में ऐसे उपयोगशुल्क संग्रह और पंजीकरण शुल्क जो प्रतिशत दर में बाजार समिति के समतूल्य हो, योगदान करेगा। (5) निदेशक उप-धारा (4) के तहत कोष की राषि को सार्वजनिक विपणन आधारभूत संरचना, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और बंधक वित्तपोषण और इस तरह की अन्य गतिविधियों जो झारखंड राज्य में एक कुशल विपणन प्रणाली के विकास में सहायक हो, के लिए व्यय करेंगे। (6) निजी बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी निजी बाजार प्रांगण में व्यावसायिक और गतिविधियों के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) तैयार करेंगे।

किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना (किसान द्वारा उपभोक्ता को खुदरा में कृषि उपज की सीधी बिक्री)

11 (1) ऐसे नियमों और शर्तों एवं शुल्क के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, खुदरा में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन के लिए किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दे सकता है।

(2) ऐसे किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना किसी व्यक्ति द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए सुलभ जगह पर जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आधारभूत संरचना विकसित करके की जा सकती है: परन्तुक कि उपभोक्ता इस बाजार में एक समय में जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, इतनी मात्रा से अधिक कृषि उत्पाद की खरीद नहीं करेगा।

(3) किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से कृषि उपज की बिक्री पर उपयोग शुल्क संग्रह कर सकता है और इस प्रकार प्राप्त की गई राशि किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी जाएगी:

परन्तुक कि झारखंड सरकार द्वारा, सार्वजनिक हित में, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, उपयोग शुल्क के संग्रह की दर की उपरी सीमा निर्धारित किया जाएगा।

गोदाम/कोष्ठागार/शीत भंडार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान काबाजार उप-प्रांगण के रूप में घोषणा करना

12 (1) इस अधिनियम में दिए गए अनुसार, झारखंड सरकार, अधिसूचना के द्वारा गोदाम/कोष्ठागार/शीत भंडार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान, जिसे आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं के साथ निर्धारित किया गया है, उसे बाजार उप-प्रांगण के रूप में कार्य करने के लिए घोषित कर सकता है।

व्याख्या: इस उप-धारा के तहत व्यक्त 'जगह' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह, इलाके, पैक हाउस/सफाई ग्रेडिंग और प्रसंस्करण इकाई आदि शामिल हैं।

(2) उप-धारा (1) के तहत बाजार उप-प्रांगण के रूप में ऐसी जगह की घोषणा के इच्छुक ऐसे गोदाम/शीत भंडार, या अन्य ऐसी संरचना या जगह, जैसा कि मामला हो, के मालिक, इस तरह के रूप में और इसी भांति और इस तरह के शुल्क में; और ऐसी अवधि के लिए लेकिन तीन वर्ष से कम नहीं, जैसा कि निर्धारित किया जाय, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(3) गोदाम/कोष्ठागार/शीत भंडार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान केअनुज्ञप्तिधारी, धारा 12 के तहत घोषित बाजार उप-प्रांगण में लेनदेन किए गए अधिसूचित कृषि उपज पर यथा मूल्य उपयोग शुल्क वसूल सकता है:

परन्तुक कि कृषक-विक्रेता से कोई उपयोग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

परन्तुक कि झारखंड सरकार द्वारा, सार्वजनिक हित में, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह की दर की उपरी सीमा निर्धारित किया जाएगा।

(4) घोषित बाजार उप-प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन विकास कोष" में बाजार समिति के समतूल्य दर से ऐसे उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह का योगदान देगा। कोष का उपयोग इस अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत उद्देश्यों के लिए और यथोचित परिवर्तनों सहित किया जाएगा।

प्रत्यक्ष विपणन (बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण के बाहर किसानों से थोक प्रत्यक्ष खरीद)	13	(1) अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और बनाए गए नियमों के तहत किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादन क्षेत्रों की निकटता में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, संग्रह/एकत्रीकरण केंद्र, आधारभूत संरचना के साथ, खुदरा श्रृंखला के संयोजन मेंस्थापित किए जा सकते हैं। I. किसी व्यक्ति द्वारा खुदरा सम्बद्धता के साथ थोक में खरीद, II. कृषक सहकारिता समिति द्वारा खुदरा सम्बद्धता के साथ थोक में खरीद, III. कृषक उत्पादक संगठन द्वारा थोक में खरीद, और IV. प्रसंस्करक/निर्यातक द्वारा उनके इकाई/परिसर में थोक में खरीद। (2) उप-धारा (1) के तहत होने के बावजूद, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे स्थान की घोषणा करने के बाद प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण के बाहर भी प्रत्यक्ष थोक खरीद किया जा सकता है। (3) प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी को दैनिक व्यापार लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड और सभी खातों को संधारित करना होगा और मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को निर्धारित किया गया है। (4) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है; और इस तरह के थोक खरीद के कामकाज और वहाँ आकस्मिक गतिविधियों का निरीक्षण और इससे संबंधित निर्देश जारी कर सकते हैं। (5) प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी, थोक खरीद पर लागू बाजार शुल्क का पचीस प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह के अनुज्ञप्तिधारी अगले महीने के 7 वें दिन तक निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन विकास कोष" में देय राशि जमा करेंगे। इस अधिनियम की धारा 10 (5) के उद्देश्यों के लिए यथोचित परिवर्तन सहित कोष का उपयोग किया जाएगा। (6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और तत्संबंधी जारी किए गए नियंत्रण आदेश या उस समय लागू कोई अन्य कानून के बावजूद, स्टॉक सीमा का प्रावधान ऐसे प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी पर लागू नहीं होगा जो प्रसंस्करण/निर्यात की उसकी वार्षिक क्षमता की सीमा तक प्रसंस्करण

के लिए कृषि उपज खरीद रहा है। हालाँकि, इस अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में परवर्ती प्रभावी होगी।

अध्याय III

बाजार समिति का गठन

बाजार समिति की स्थापना और इसका निगमन

14 (1) प्रत्येक परिसीमित बाजार क्षेत्र के लिए, एक बाजार समिति होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे।

(2) इस अधिनियम के तहत स्थापित प्रत्येक बाजार समिति एक निकाय होगा जिसे झारखंड सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट नाम से निगमित करसकती है। इसका क्रमिक उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और यह इसके निगमित नाम से मुकदमा दायर कर सकता है और इस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है और, इस अधिनियम के द्वारा या इसके तहत अनुबंध, अधिग्रहण, अधिकार में रखने, पट्टे, बेचने या अन्यथा किसी भी संपति अचल और चल-अचल दोनों को हस्तांतरित करने और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक अन्य सभी चीजें करना जिसके लिए यह स्थापित किया गया है के लिए सक्षम हो सकने, इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है।

बशर्ते कि कोई अचल या चल-अचल संपति जिसका मूल्य निर्धारित सीमा से अधिक हो, उसे निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना बाजार समिति द्वारा अधिग्रहित या निपटाया नहीं जाएगा।

बशर्ते कि निदेशक, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, जैसा कि मामला हो सकता है इस तरह के मामले के अधिग्रहण या निष्पादन के पूरा होने से पहले ऐसी अनुमति को रद्द कर सकते हैं।

बशर्ते कि बाजार समिति निदेशक की पूर्व स्वीकृति के साथ और निर्धारित अधिकारी से मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, किसी भी भूमि या भवन के मालिक के साथ समझौता कर सकता है और ऐसी भूमि या भवन की खरीद कर सकता है।

(3) किसी समय लागू अधिनियम में निहित किसी भी मामले/विषय के बावजूद, प्रत्येक बाजार समिति सभी उद्देश्यों के लिए, एक स्थानीय प्राधिकार माना जाएगा।

(4) बाजार समिति को, निर्धारित दिशा निर्देशों के अधीन, निदेशक द्वारा, अन्य विचारों जैसा कि निदेशक उचित समझते हों, पर विचार करते हुए, कर्मचारी स्थापना व्यय और इसके लिए आवश्यक अन्य व्यय और भते के लिए मानदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से वर्गीकृत किया जाएगा।

बाजार समिति में स्थानीय प्राधिकरण की संपति का निहित

15 (1) स्थानीय प्राधिकार से संबंधित परिसीमित बाजार क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी भूमि या भवन से संबंधित स्थान स्थानीय प्राधिकार के द्वारा

करना

बाजार समिति को हस्तांतरण की आवश्यकता हो सकती है जो कि बाजार प्रांगण के स्थापना से तुरंत पहले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बाजार के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा था और स्थानीय प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता की प्राप्ति के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, भूमि और/या भवन का हस्तांतरण करें बाजार समिति ऐसी शर्तों पर सहमत हो सकती है ।

(2) जहां उप-धारा (1) के तहत स्थानीय प्राधिकरण से अधियाचन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकरण और बाजार समिति के बीच उक्त उप-धारा के तहत कोई समझौता नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए बाजार समिति द्वारा आवश्यक भूमि या भवन बाजार समिति में निहित होगी और उप-धारा(5)के तहत स्थानीय प्राधिकरण को समाहर्ता द्वारा निर्धारित इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते स्थानीय प्राधिकरण को इस तरह के स्थानीय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिनियमन में निहित प्रावधान के आधार पर इसमें, इस तरह के निहितार्थ के लिए बिना किसी राशि के भुगतान के, निहित किया गया किसी भूमि या भवन के संबंध में, कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

यदि कोई पक्ष समाहर्ता के आदेश से असंतुष्ट हो, तो तीस दिनों के भीतर ऐसे आदेष के विरुद्ध झारखण्ड सरकार से अपील कर सकते हैं।

(3) स्थानीय प्राधिकरण उप-धारा(2) के तहत इस तरह के निहितार्थ सात दिनों की अवधि के भीतरबाजार समिति में निहित करते हुए भूमि या भवनकब्जा देगा और उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की विफलता पर समाहर्ता भूमि या भवन पर दखल लेते हुए इसे बाजार समिति को हस्तांतरित कर देगा।

(4) समाहर्तानिम्न से संबंधित भूमि या भवन के मुआवजे की राशि तय करेगा -

(i) साल-दर-साल दिया जाने वाला भवन का अनुमानित वार्षिक किराया,

(ii) भवन की स्थिति;

(iii) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए किया गया मुआवजे की राशि का भुगतान;और

(iv) स्थानीय प्राधिकरण द्धारा भूमि पर तैयार की गई भवन या किसी भी निष्पादित कार्य के वर्तमान लागत मूल्य।

(5) उप-धारा (4) के तहत तय किया गया मुआवजा, का भुगतान बाजार समिति के विकल्प पर,एकमुश्त या उचितसंख्या में समान किस्तों में ब्याज के साथ जैसा कि समाहर्ता द्वारा तय कर सकते हैं, किया जा सकता है।

बाजार समिति और बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण

16 (1) जब परिसीमित बाजार क्षेत्र के भीतर अवस्थित कोई भी भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, और बोर्ड या बाजार समिति इसे समझौता के जरिए हासिल करने में असमर्थ है,झारखंडसरकार, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या बाजार समिति द्वारा उस अधिनियम के तहत प्रदान की गई लागू मुआवजे और अधिग्रहण के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु व्यय किए गए किसी भी अन्य शुल्कों के भुगतान पर, बोर्ड या बाजार समिति के अनुरोध पर, ऐसी भूमि का अधिग्रहण "उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पारदर्शिता अधिनियम, 2013 या और या कोई अन्य प्रासंगिक कानून जैसा कि वर्तमान तारीख तक संशोधन किया गया हो के प्रावधान के तहत कर सकता है,, भूमि बोर्ड या बाजार समिति में निहित होगी, जैसा कि मामला हो सकता है:

परन्तुक कि बाजार समिति द्वारा एक बार कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो इसे झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले ऐसे कारणों को छोड़कर इसे वापस नहीं लिया जाएगा।

(2) बोर्ड या बाजार समिति, झारखंड सरकार के पूर्वानुमति के बिना, उप-धारा (1) के तहत बोर्ड या बाजार समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई किसी भी जमीन को हस्तांतरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि को उस उद्देश्य जिसके लिए उसे अधिग्रहित किया गया है से अलग किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

परन्तुक कि मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण या बोर्ड के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिसर नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल नहीं माना जाएगा।

प्रथम बाजार समिति का गठन

17 (1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद परिसीमित बाजार क्षेत्र के लिए प्रथम बार प्रथमबाजार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य झारखंड सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। प्रथम गठित बाजार समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य, पंद्रह से कम नहीं हो सकते हैं, जिसमें दस कृषक सदस्य शामिल हो सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। अन्य पांच सदस्य हो सकते हैं-

(i) तीन सदस्य, कृषि/बागवानी, सहकारिता और कृषि विपणन प्रशासन के विभागों से प्रत्येक विभागों में से एक;

(ii) सहकारी विपणन सोसाइटी से एक; तथा

(iii) स्थानीय प्राधिकरण (महानगरपालिका) से एक, नगरपालिका, पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो)।

परन्तुक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किसान सदस्यों के बीच से नामित किया जाएगा। झारखंडसरकार कृषक सदस्यों के नामांकन में सरकार की आरक्षण नीति का पालन कर सकता है।

परन्तुक कि झारखंड सरकार पहली बार गठित की गई बाजार समिति के सदस्यों को नामित करने के बजाय, यदि यह आवष्यक समझते हों, प्रशासक या प्रशासक मंडल की नियुक्ति कर सकता है; जिसे सभी उद्देश्यों के लिए इस प्रकार से नियुक्त, पहली बार गठित समिति माना जाएगा।

(2) झारखंड सरकार या निदेशक, एक आदेश से, एक व्यक्ति को पहली बाजार समिति का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नही होगा।

परन्तुक कि प्रभारी अधिकारी की मृत्यु, इस्तीफा, छुट्टी या निलंबन की स्थिति में, ऐसे कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा और इस तरह की रिक्ति को यथाषीघ्र, झारखंड सरकार या निदेशक द्वारा नियुक्ति के द्वारा भरा जाएगा, और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक निदेशक द्वारा प्रतिनियुक्त/नामित व्यक्ति प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। प्रथम बाजार समिति के साथ की प्रभारी अधिकारी सेवाएं संक्षिप्त होंगी।

(3) उप-धारा (1) के तहत गठित पहली बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य उस समय के लिए पद धारण करेंगे जो समिति के गठन की अधिसूचना के दिन से एक वर्ष से अधिक न हो:

परन्तुक कि यदि उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले नई बाजार समिति का गठन किया जाता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य नवगठित बाजार समिति की पहली आम बैठक के लिए नियुक्त तिथि पर कार्य करना बंद कर देंगे।

झारखंड सरकार या निदेशक, पूर्ववर्ती अवधि की समाप्ति से पहले ही, कदाचार के सिद्ध होने पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। इस तरह की घटना में, एक आकस्मिक रिक्ति को माना जाएगा और इस तरह की रिक्ति को यथाषीघ्र, जैसा कि मामला हो सकता है झारखंड सरकार या निदेशक द्वारा एक व्यक्ति के नामांकन के द्वारा, भरा जाएगा।

द्वितीय एवं परवर्ती बाजार समिति का गठन

18 1) जैसा कि धारा17 में दिया गया है, गठन की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए गठित एक बाजार समिति में निम्न शामिल होंगे-

(क) धारा 23 के तहत नामित अध्यक्ष एवं चुने गए एक उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार,एक परिसीमित बाजार क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव

द्वारा चुने गये इस तरह की योग्यता रखने वाले कृषकों के दस प्रतिनिधि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

परन्तुक कि कोई भी कृषक बाजार समिति के कृषकों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं हो सकता है, जब तक कि उसने अपनी कृषि उपज को पूर्ववर्ती वर्ष में कम से कम एक बार, या पांच वर्षों में पांच बार, बाजार समिति के लिए परिसीमित बाजार क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण में बेचा हो।

(ग) ऐसे परिसीमित बाजार क्षेत्र के निवासी व्यापारियों के प्रतिनिधि, इस तरह की योग्यता रखने वाले, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे परिसीमित बाजार क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों में से चुने गए हो:

परन्तुक कि कोई भी व्यापारी एक समय में एक से अधिक बाजार समिति का मतदाता न हो।

परन्तुक कि वह इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत निर्वाचित होने के लिए अन्यथा अयोग्य नहीं है।

(घ) बाजार समिति द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त कमीशन एजेंट का एक प्रतिनिधि, ऐसी योग्यता रखता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जो अनुज्ञप्ति धारक कमीशन एजेंटों में से चुने गए हों,

परन्तुक कि कोई भी कमीशन एजेंट एक समय में एक से अधिक बाजार समिति का मतदाता न हो।

परन्तुक कि वह इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत निर्वाचित होने के लिए अन्यथा अयोग्य नहीं है।

(ड.) भारोत्तोलकों, मजदूर और अन्य बाजार के अधिकारियों का एक प्रतिनिधि, ऐसी योग्यता रखता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, अनुज्ञप्ति धारक भारोत्तोलकों, मजदूर और अन्य बाजार अधिकारियों में से चुने गए हो।

परन्तुक कि कोई भी भारोत्तोलकों, मजदूर और अन्य बाजार के अधिकारी एक समय में एक से अधिक बाजार समिति के मतदाता नहीं होंगे।

परन्तुक कि वह इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत निर्वाचित होने के लिए अन्यथा अयोग्य नहीं है।

(2) प्रत्येक बाजार समिति में समिति के निम्नांकित अन्य सदस्य होंगे-

(क) परिसीमित बाजार क्षेत्र में कार्य करने वाले सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो इस तरह के सोसाइटी के प्रबंधन समिति द्वारा चुना जाएगा:

परन्तुक कि यदि ऐसे एक से अधिक सोसाइटी में परिसीमित बाजार क्षेत्र में कार्य करता है, तो ऐसे सदस्य का चुनाव ऐसे सोसाइटी की प्रबंध समितियों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

परन्तुक कि इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा यदि राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी भी सोसाइटी की प्रबंध

समिति को अधिक्रमित करती हों।

(ख) झारखंड सरकार के कृषि/बागवानी विभाग के एक अधिकारी को कृषि/बागवानी निदेशक द्वारा नामित किया जाना है;

(ग) परिसीमित बाजार क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत या जिला परिषद का एक प्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत हो परन्तुक कि जिला मुख्यालय पर स्थित बाजार समिति में, प्रतिनिधि को जिला पंचायत के सदस्यों में से ही नामित किया जाएगा।

(3) केवल उपधारा (1) के तहत सदस्यों को मतदान करने का अधिकार होगा।

(4) झारखंड सरकार मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव का संचालन करने का नियम बना सकता है ।

(5) सदस्य का हर चुनाव और नामांकन आधिकारिक गजट में समाहर्ता/निदेशक द्वारा अधिसूचित होगा ।

(6) कोई भी व्यक्ति दो से अधिक कार्यकाल के लिए बाजार समिति का सदस्य नहीं हो सकता है ।

निर्वाचन क्षेत्रों और सीट के आरक्षण के लिए परिसीमित बाजार क्षेत्र का विभाजन 19

(1) समाहर्ता, अधिसूचना द्वारा या अन्यथा, एक परिसीमित बाजार क्षेत्र को कृषक के प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर निर्वाचित बाजार क्षेत्र को, लेकिन दस से कम नहीं, में विभाजित करेंगे।

(2) किसान सदस्यों के लिए एक बाजार समिति के लिए सीधे चुनाव के मामले में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सरकार की नीति के अनुसार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

मतदान करने की योग्यता और कृषक प्रतिनिधि होना 20

(1) हर व्यक्ति-

(i) जो झारखंड राज्य से संबंधित भूमि सुधार अधिनियम; भूमि रिकॉर्ड के अनुसार जिसका नाम गांव में भूमि के मालिक या पट्टेदार के रूप में दर्ज किया गया है।

(ii) जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और

(iii) इस अधिनियम और बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत जिसका नाम तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है, कृषकों के प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य होगाः

परन्तुक कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के योग्य नहीं होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कृषकों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि-

(i) उनका नाम मतदाताओं की सूची में शामिल है, जो कि परिचालित बाजार क्षेत्र के कृषक के रूप में हैं;

(ii) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत वह अन्यथा निर्वाचित होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(3) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बाजार समिति या निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा जैसा कि मामला हो सकता है।

चुनाव का प्रावधान 21 इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अधीन उपाध्यक्ष, बाज़ार समिति के सदस्य निर्धारित तरीके से चुने जाएंगे। मतदाताओं की सूचियों की तैयारी और रखरखाव और उनकी अर्हता और अयोग्यता, जमा राशि के भुगतान और उनके जब्ती, सीटों के आरक्षण और वहां से जुड़े सभी मामलों के लिए भी इस तरह के नियम प्रभावी होंगे।

चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण 22 (1) निदेशक के निर्देशों के अधीन, बाजार समिति के सभी चुनावों के लिए मतदाताओं की सूचियों की तैयारी, निर्देशन और नियंत्रण, जिला समाहर्ता में निहित होंगे।

(2) झारखंड सरकार जिला समाहर्ता को प्रदत्त कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए ऐसे कर्मचारी और निधि उपलब्ध कराएगा जो इस अधिनियम के तहत आवश्यक हो सकते हैं।

(3) उपाध्यक्ष और बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के संबंध में सभी खर्च राज्य के समेकित निधि से मिलेंगे।

(4) उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, झारखंड सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग या इसके लिए प्राधिकृतकिसी भी अन्य निकाय बाजार समिति चुनाव से जुड़े सभी मामलों के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, जिसमें चुनाव गतिविधियों की तालिका को रद्द करने या मतदान स्थगित करने के निर्देश भी शामिल हैं।

अध्यक्ष का मनोनयन और उपाध्यक्ष का चुनाव 23(1) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा, जो कोई भी व्यक्ति या जन प्रतिनिधि होगा।

(1(क)) प्रत्येक व्यक्ति, जब तक कि इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित नहीं हो जाता, जब तक कि बाजार समिति के उपाध्यक्ष के रूप में एवंधारा 20 के धारा 18 के तहत कमीशन एजेंट और अन्य बाजार अधिकारी, व्यापारियों, के तहत किसानों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होने के लिए योग्य होगें।

परन्तुक कि कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह धारा 20 के तहत चुने जाने के योग्य न हो।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण सरकार की नीति के अनुसार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए एक साथ चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) यदि कोई परिसीमित बाजार क्षेत्र के अध्यक्ष का मनोनयन/या उपाध्यक्ष का चुनाव कराने में विफल रहता है, तो छह महीने के भीतर कार्यालय को भरने के लिए नए सिरे से चुनावी कार्यवाही शुरू की जाएगीः

परन्तुक कि इस उप-धाराके तहतअध्यक्ष के मनोनयन के लंबित रहने तक चुने गए उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा।

इस उप-धाराके तहत अध्यक्ष का मनोनयन और उपाध्यक्ष का चुनाव लंबित होने पर, निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद की शर्तें	24	(1) सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या बाजार समिति की निरंतरता तक या राज्य सरकार की इच्छा पर्यत जो भी पहले हो, तक होगा। (1(क)) उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य, इस अधिनियम के तहत पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या बाजार समिति की निरंतरता तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेंगे। (2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधान के बावजूद, एक व्यक्ति जो सहकारी समिति, कृषि / बागवानी विभाग और ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में बाजार समिति का नामित सदस्य है, जैसा भी मामला हो, सोसाइटी के प्रबंध समिति या संबधित ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल समाप्त होने पर, बाजार समिति का उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा या अन्यथा, या जब तक विभाग द्वारा संबंधित सदस्य के रूप पुनः नाम निदेशित नहीं किया जाता है।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल	25	(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक बाजार समिति के निर्वाचित सदस्यों के पद का कार्यकाल बाजार समिति के निवर्तमान पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति के तुरंत बाद या पहली बैठक की तारीख पर शुरू होगा। (2) जब आम चुनाव के बाद या किसी भी समय बाजार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए कृषकों के आधे से अन्यून प्रतिनिधि और बाजार समिति के कुल सदस्यों में से आधे से अन्यून सदस्य उपलब्ध हैं इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, बाजार समिति विधिवत रूप से गठित या विधिवत रूप से कार्यशील माना जाएगा, और ऐसी बाजार समिति शक्तियों का उपयोग करने और बाजार समिति के कार्यों को करने के लिए सक्षम होगी।
सदस्यों का इस्तीफा	26	बाजार समिति के पदेन सदस्य को छोड़कर, एक सदस्य बाजार समिति के अध्यक्ष को लिखित रूप में अपनी सदस्यता से इस्तीफा सौंप सकता है या

भेज सकता है जिसे अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा, ऐसे सदस्य की जगह इस्तीफे की तारीख से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर रिक्त हो जाएगी, जब तक कि ऐसी अवधि के भीतर वह सदस्य अध्यक्ष को संबोधित कर लिखित में अपना इस्तीफा वापस नहीं लेता है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा इस्तीफा और उनके कार्यालय पदों की रिक्ति	27	(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा क्रमशः मंत्री, कृषि विपणन प्रभारी और अध्यक्ष को लिखित रूप में दे सकते हैं; और इस तरह के इस्तीफे की तारीख से स्पष्ट पंद्रह दिनों की समाप्ति पर पद रिक्त हो जाएगा, जब तक कि पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के भीतर वे मंत्री, कृषि विपणन प्रभारी या अध्यक्ष को लिखित रूप से इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं, जैसा कि मामला हो। (2) अध्यक्ष के पद से इस्तीफे, मृत्यु, निष्कासन या अन्यथा की वजह से रिक्ति के दौरान, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगंे जब तक कि अध्यक्ष का विधिवत मनोनयन नहीं हो जाता है, और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो इस अधिनियम में निहित कुछ के बावजूद, निदेशक कृषि विपणन के प्रभारी मंत्री के पूर्व अनुमोदन के साथ,एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो अध्यक्ष केविधिवत मनोनयन होने तक की उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा। उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा, मृत्यु, निष्कासन या अन्यथा के कारण होने वाली रिक्ति के दौरान, अध्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपाध्यक्ष के कार्यों का निष्पादन तब तक करेंगे जब तक उपाध्यक्ष का विधिवत निर्वाचन नहीं हो जाता।
अध्यक्ष को हटाने और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव	28	(1) सरकारकिसी भी समय अपने विवेक से मनोनीत अध्यक्ष को पद से हटा सकती है। (1 (क)) उप-धारा (2) के तहत इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और यदि प्रस्ताव समिति के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई से अनून्य हो, के बहुमत से पारित हो जाता है, जैसा भी मामला हो, उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। (2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर बाजार समिति की एक बैठक निर्धारित तरीके से आयोजित की जाएगी। बाजार समिति का कोई पदेन सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के नोटिस जारी नहीं कर सकता है। बाजार समिति के पदेन सदस्य को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा। (3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की बैठक की अध्यक्षता/एक अधिकारी द्वारा की

जाएगी, जिसे निदेशक, मंत्री, कृषि विपणन के प्रभारी सेपरामर्ष से नियुक्त कर सकते हैं। हालाँकि, उपाध्यक्ष को बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और अन्यथा बोलने का अधिकार होगा।

(4) यदि अविश्वास प्रस्ताव को पूर्वोक्त रूप से नहीं लाया जाता है या यदि कोरम के लिए बैठक का आयोजित नहीं की जा सकती है, तो उसी उपाध्यक्ष के लिएअविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का कोई नोटिस ऐसी निर्धारित बैठक की तारीख से छह महीने समाप्त होने के बाद तक नहीं जारी किया जा सकेगा।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के विरुद्ध अवकाष और बिना अवकाष के अनुपस्थिति के परिणाम

29 (1) इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, प्रत्येक अध्यक्ष और प्रत्येक उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, जो समिति की तीन लगातार बैठकों से, कृषि विपणन के प्रभारी मंत्री से छुट्टी लिए बिना, खुद को अनुपस्थित रखता है, इस तरह की तीसरी बैठक के दिन औरतारीख से अध्यक्ष नहीं रहेगा ।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष की छुट्टी के बिना समिति की लगातार तीन बैठकों से खुद को अनुपस्थित करता है, इस तरह की तीसरी बैठक के दिन और तारीख से उपाध्यक्ष नहीं रहेगा।

(3) बाजार समिति की लगातार छह बैठकों के लिए उप-धारा (1) या (2) के तहत छुट्टी नहीं दी जाएगी। जब भी इस तरह की छुट्टी, अत्याधिक आवश्यकताओं, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दी जाती है, तो बाजार समिति ऐसे पात्र सदस्यों का चुनाव करेगी, जो बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को प्रभार सौंपने से इंकार

30 (1) अध्यक्ष का मनोनयन या उपाध्यक्ष के चुनाव होने पर, जैसा भी मामला हो, निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद का प्रभार कार्यालय में उत्तराधिकारी को सौंपेंगे।

(2) यदि निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उप-धारा (1) के तहत अपने कार्यालय का प्रभार सौंपने में विफल रहता है या मना करता है, तो इस संबंध में निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी मंत्री, कृषि विपणन के प्रभारी के पूर्व स्वीकृति से निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को अपने कार्यालय के प्रभार के साथ-साथ सभी रिकॉर्ड, कोष और बाजार समिति की संपत्ति, यदि कोई उनके कब्जे में हों तो, को लिखित आदेष से हस्तांतरित करने का निदेश दे सकता है।

(3) यदि निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिन्हें उप-धारा(2) के तहत कोई निर्देश जारी किया गया है, तो ऐसे निर्देश का अनुपालन नहीं करता है, निदेशक या इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के पास वैसी ही शक्तियां होंगी जैसे कि एक सिविल कोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता,

1908 (1908 का 5) के तहत एक आज्ञप्ति निष्पादित करते समय निहित होती हैं।

कुछ शर्तों के तहत बाजार समिति के रिकॉर्ड और संपत्ति को कब्जे में लेना

31 (1) जहां निदेशक/प्रबंध निदेशक संतुष्ट हैं कि बाज़ार समिति की खातोंऔर रिकॉर्डों को दबाए जाने, छेड़छाड़ करने या नष्ट होने की संभावना है, या किसी बाजार समिति के कोष और संपत्ति के गबन-दुर्विनियोग की संभावना है, निदेशक/प्रबंध निदेशक बाजार समिति के रिकॉर्ड और संपत्ति को जब्त करने और कब्जा करने का आदेश दे सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत आदेश प्राप्त होने पर, पुलिस अधिकारी, जो स्थानीय क्षेत्र के उप-निरीक्षक के रैंक से नीचे नहीं हों, किसी भी स्थान जहॉ रिकॉर्ड या संपत्ति रखी जाएगी या रखे जाने की संभावना है, में प्रवेश करेगा और और उन्हें जब्त करने और तत्संबंधी निदेशक/प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप सकता है, जैसा भी मामला हो।

एम0एन0आई0 की बाजार समिति की स्थापना और संघटन

32 (1) जैसा कि धारा 14 (1) में दिया गया है, झारखंड सरकार अधिसूचना द्वारा, झारखंड राज्य में स्थित ऐसे बाजार प्रांगण जिसे "राष्ट्रीय महत्व" का बाजार प्रांगण माना जाता है के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अलग बाजार समिति का गठन कर सकती है।

(2) इस अधिनियम में बनाए गए बाजार समिति के लिए और इससे संबंधित सभी प्रावधान, जिसमें मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव शामिल हैं, के यथोचित परिवर्तनों सहित, "राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण" के लिए गठित बाजार समिति पर लागू होगी।

(3) धारा 18 के तहत उपलब्ध कराए गए, राष्ट्रीय महत्व के बाजारप्रांगण की बाजार समिति में शामिल होंगे -

(i) अध्यक्ष.....1

(ii) उपाध्यक्ष..... 2

(iii) कृषि विषेषज्ञ 10

दो अन्य राज्यों जहां से एम0एन0आई0 में आगमन प्राप्त कर रहे हैं से एक-एकसहित 2 कृषक (जहां एम0एन0आई0 स्थित है वहां के सरकार से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाने के लिए प्राप्त ऐसे नामांकन के अनुरोधों की प्राप्ति पर नामांकित किए जाने पर)।

(iv) एम0एन0आई0 के ऐसे परिसीमित बाजार क्षेत्र के निवासी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों में से चुने गए, एकल एकीकृत लाइसेंस रखने वाला व्यापारी, जो एक परिसीमित बाजार क्षेत्र का निवासी हो, जैसा कि निर्धारित हो इस तरह की योग्यता रखता हो 1

(v) झारखंड सरकार द्वारा नामित अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है 1

(vi) सदस्य के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त कमीशन एजेंट का एक प्रतिनिधि, जैसा निर्धारित किया जा सकता है 1

(vii) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उनके नामांकित व्यक्ति जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हों.....1

(viii) क्षेत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/नगर आयुक्त या उनके नामांकित व्यक्ति..... 1

(ix) मुख्य नगर नियोजक या ऐसे प्राधिकार जिनके पास ऐसी शक्तियां हों या उनके नामांकित व्यक्ति..... 1

(x) निदेशक या उनके नामिती (पदेन), जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हों 1

(xi) प्रबंध निदेशक, राज्य कृषि विपणन पर्षद (पदेन) या उनके नामांकित व्यक्ति जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हों.....1

(xii) कार्यकारी सदस्य (जिसे झारखंड सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है, जो एम0एन0आई0 की बाजार समिति के सचिव या सी0ई0ओ0 के रूप में कार्य करेंगे)..... 1

एम0एन0आई0 की बाजार समिति के सचिव की नियुक्ति और कार्य	33	बाजार समिति के सी0ई0ओ0 के रूप में कार्य करने वाले सचिव को झारखंड सरकार द्वारा 10 साल के अनुभव वाले झारखंडराज्य के सिविल सेवा अधिकारियोंया इस प्रकार से संधारित पेशेवरों के पैनल या कृषि विपणन में दस वर्ष के अनुभव वाले केंद्र/राज्य सरकार से प्रतिनियुक्तमें से नियुक्त किया जाएगा।
एम0एन0आई0 की कार्यकारी समिति	34	1) कार्यकारी समिति में शामिल होंगे..... (i) एम0एन0आई0के अध्यक्ष..... 1 (ii) एम0एन0आई0का एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति रखने वाला व्यापारी ...1 (iii) निदेशक या उनके नामिती (पदेन), जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं.....1 (iv) एम0डी0, एस0ए0एम0बी0 या उनके नामिती, जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं .....1 (v) एम0एन0आई0की बाजार समिति का कार्यकारी सदस्य जो कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव के रूप में होगा .....1 (2) आपातकाल के मामले में, कार्यकारी समिति बाजार समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मुद्दों को तय कर सकती है। हालाँकि, इस तरह के निर्णय, बाजार समिति द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जाने के पैंतालीस दिनों के भीतर अनुमोदित कर दिए जाएँगें। ऐसा करने में विफलता या बाजार समिति द्वारा इस तरह के निर्णयों की अस्वीकृति की स्थिति में, ऐसा निर्णय अशक्त और शून्य हो जाएगा, हालांकि, इस तरह के किसी भी अस्वीकृति इस निर्णय के तहत किए गए कुछ की वैधता के

पक्षपात के बिना होगाः परन्तुक कि बाजार समिति इस तरह के निर्णय में कोई भी संशोधन करती है, इस तरह के संशोधन की तारीख से निर्णय केवल इस तरह के प्रभाव में होगा।

(3) कार्यकारी समिति जैसा आवश्यक हो बैठक करेंगे, परन्तु कैलेंडर माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करेंगे।

एम0एन0आई0 की कार्यकारी समिति के सदस्यों के पद की अवधि	35	कार्यकारिणी समिति के सदस्य झारखंड सरकार के इच्छानुसार कार्यालय संभालेंगे।
इस अधिनियम के अन्य प्रावधान राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण पर भी लागू होंगे	36	इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान, जो "राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण" के लिए विनिर्दिष्टनहीं हैं, इस अधिनियम की धारा-9 के तहत स्थापित और अधिसूचित किए गए एम0एन0आई0 पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय IV

कार्य का संचालन और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और बाजार समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य

अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य	37	(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बाज़ार समिति के अध्यक्ष बाज़ार समिति के मुख्य नियंत्रक और पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे। (2) अध्यक्ष - (क) बाजार समिति और उप समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों का संचालन करेगा; (ख) वित्तीय, विकासात्मक और कार्यकारी प्रशासन पर नजर रखेगा; (ग) आपातकाल के मामले में, किसी भी कार्य को रोकने या किसी भी कार्य को करने का निर्देश देना, जिसे बाजार समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य	38	बाजार समिति का उपाध्यक्षनिम्न कार्य करेंगे (क) इस अधिनियम या नियमों में दिए गए अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बाज़ार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे; (ख) अध्यक्ष के चुनाव लंबित रहने या अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष के शक्तियों का प्रयोग करेंगें और कर्तव्यों का पालन करेंगें।
बाज़ार समिति की बैठक आदि	39	एक बाज़ार समिति प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख और समय में अपने कार्यवाही के संचालन के लिए बैठक कर सकतें हैः परन्तुक कि बाज़ार समिति विशेष परिस्थितियों में,

निर्धारित बाजार क्षेत्र, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बैठक कर सकती है।

बैठक में कोरम और प्रक्रिया 40 बाज़ार समिति की बैठक में कार्यवाही के संचालन के लिए बाज़ार समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई का कोरम होगा। बैठक हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

बाजार समिति के अधिकार और कर्तव्य 41 (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बाजार समिति के निम्न कर्तव्य होंगे-

(i) इस अधिनियम के प्रावधानों, नियम और उपविधियों को प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के तहत लागू करना।

(ii) निदेशक/प्रबंध निदेशक या झारखंड सरकार से समय-समय पर यथा निदेशित पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

(iii) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के संबंध में या पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को सुगम करने के लिए, और उपरोक्त से जुड़े उद्देश्यों के लिए, और इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए या इसके तहत प्रदान किए जा सकने वाले शक्तियों का उपयोग करना।

(iv) मूल्य निर्धारण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाने और प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में होने वाले लेन-देन करने के लिए अन्य सभी कार्य करना।

(2) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता के पूर्वाग्रह बिना, बाजार समिति-

(i) मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण का परिसीमन बाजार क्षेत्र के भीतर बनाए रखेगी और प्रबंधित करेगी;

(ii) परिसीमित बाजार क्षेत्र में प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के भीतर पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना;

(iii) व्यापारियों को छोड़कर, बाजार के प्रतिभागी, को अनुज्ञप्ति देना/नवीनीकृत करना या ऐसा करने से इनकार करना;

(iv) व्यापारियों को छोड़कर, बाज़ार प्रतिभागियों, को दिए गए/नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द करना, और बाज़ार के प्रतिभागियों के गतिविधियों की पर्यवेक्षण करना और अनुज्ञप्ति की शर्तों को लागू करना;

(v) इस अधिनियम के तहत बनेनियमों और बाजार समिति के उपविधियों के तहत लागू प्रावधान और प्रक्रिया के अनुसार पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की ई-नीलामी सहित नीलामी को विनियमित या पर्यवेक्षण करना;

(vi) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के बिक्री, तौल, वितरण, भुगतान और संबंधित अन्य सभी मामलों के सहमति तैयार करने, प्रभावी करना और लागू करना या निरस्तीकरण को निर्धारित तरीके से विनियमित करना;

(vii) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन और इससे संबंधित सहायक गतिविधियों से जुड़े विक्रेता और खरीदार के बीच, ऑनलाइन सहित, किसी भी तरह के लेन-देनपर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निपटारा करना;

(viii) परिसीमित बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, कीमतों और आवाजाही के संबंध में विस्तार गतिविधियां, यथा, सूचनाओं का संग्रह, रख-रखाव, और सूचना केप्रसार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना;

(ix) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के नीचे खरीद और बिक्री की रोकथाम के लिए उपाय करना;

(x) दर, प्रभार, शुल्क और अन्य रकम जिसके लिए बाजार समिति हकदार हैं अधिरोपित करना, लेना, वसूलना और प्राप्त करना;

(xi) इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उपविधियोंके कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों का नियोजन करना;

(xii) इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना और ऐसे अपराधों को कम करना;

(xiii) कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से भूमि अर्जन करना औरकिसी भी चल या अचल संपति का निश्पादन करना;

(xiv) इस अधिनियम के नियमोंया उपविधियों या इस अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों या निर्देशों या इस हेतु प्राधिकृत बाजार समिति, उसके अध्यक्ष या किसी अधिकारी द्वारा जारी नियमों या उपविधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाना;

(xv) किसी भी मुकदमे, अभियोजन, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन दायरया बचाव करना या ऐसे मुकदमे, कार्यवाही, आवेदन पर मध्यस्थताया समझौता करना;

(xvi) बाजार समिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भते, ग्रेच्युटी, अवकाश भत्ता के लिए योगदान, भविष्य निधि निर्धारण से संबंधित मुद्दों को विहित प्रक्रिया के तहत निलंबित करना

(xvii) धारा-82 के तहत बाजार समिति कोष को निर्धारित तरीके से खाते को प्रबंधन एवं संधारित करना;

(xviii) विनियमन के लाभों, लेन-देन की प्रणाली, प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण आदि में दी जा रही सुविधाओं के बारे में माध्यमों जैसे पोस्टर, पर्चे, होर्डिंग्स, सिनेमा स्लाइड, फिल्म शो, समूह की बैठकों,

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि, या किसी अन्य माध्यम से जो अधिक प्रभावी या आवश्यक माना जाता है, से प्रचार करना।

(xix) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण या ई-प्लेटफॉर्म पर हुए लेनदेन के संबंध में ंविक्रेता को उसी दिनया अगर प्रक्रियात्मक रूप से बहुत आवश्यक हो अधिकतम अगले दिन तक भुगतान सुनिश्चित करना।उपरोक्त के अनुसार भुगतान में चूक होने परधारा 65 (2) के प्रावधान लागू होंगे। इस उपधारामें दिए गए अनुसार, ई-व्यापार के मामले में विक्रेता को भुगतान की प्रक्रिया धारा 59 (2) के अनुसार यथोचित परिवर्तन सहित प्रभावी होगी।

(3) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, बाजार समिति-

(i) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की मिलावट, यदि कोई हो तो, को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाना;

(ii) कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक निजी भागीदारी को स्थापित करना और बढ़ावा देना;

(iii) उपयुक्त डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों या उनके समूहों को उपभोक्ताओं से जोड़ने को बढ़ावा देना;

(iv) बाजार समिति में निहित प्रमुख बाजारप्रांगण, उप-बाजारप्रांगण औरबाजार उप-प्रांगण में व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश, ंयातायात को विनियमित करना;

(v) बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण में उपयोग किए जाने वाले तराजू, तौल और उपकरण और साथ ही जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, वाले तरीके से बाजार प्रतिभागी द्वारा संधारित लेखा खातों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और सत्यापन करना;

(vi) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप- बाजार प्रांगण, और बाजार उप-प्रांगण में खरीदे या बेचे जाने वाले पशुओं, गोधन, पक्षियों आदि के संबंध में पशु चिकित्सक से फिटनेस (स्वास्थ्य) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करना;

(vii) भारोतोलकों और हम्माल (लोडर) के संबंध में शुल्क वसूल करना और भारोतोलकों और हम्माल (लोडर/अनलोडर) को उक्त राशि को वितरित करना यदि खरीदार/विक्रेता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है;

(viii) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, कीमतों और परिवहन के संबंध में जानकारी एकत्र और संधारित करना और निदेशक/प्रबंध निदेशक/झारखंड सरकार द्वारा निर्देशित ऐसी जानकारी का प्रसार करना; तथा

(ix) व्यापारियों द्वारा कृषि उपज की जमाखोरी और बाजार के प्रतिभागी द्वारा कृषक-विक्रेताओं के हितों को प्रभावित करने वाले कोई उत्पादक संघ बनाने से रोके जा सकने के लिए यथोचित कदम उठाना।

(4) निदेशक / प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ, बाजार समिति निम्न कार्य कर सकती है -

(i) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण और परिसीमित बाजार क्षेत्र में पशुधन सहित कृषि उपज के विपणन की सुविधा के लिए आंतरिक / संपर्क सड़कों, गोदामों और अन्य आधारभूत संरचना का निर्माणऔर इस प्रयोजन हेतु बोर्ड, या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या उपक्रम या निदेशक / प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के लिए अनुदान या अग्रिम निधि प्रदान करना;

(ii) बिक्री हेतु उर्वरक, कीटनाशक, उन्नत बीज, कृषि उपकरण, इनपुट के स्टॉक का संधारण और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना;

(iii) कृषकों को कृषि उपज के संग्रहण के लिए किराए पर भंडारण की सुविधा प्रदान करना।

(5) ई-व्यापार को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, बाजार समिति नियामक प्रणाली की स्थापना, आधारभूत संरचना का निर्माण और वहां आवश्यक अन्य गतिविधियों और कदम उठा सकती है।

(6) बाजार समिति तृतीय पक्ष परीक्षण/जांच प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है या स्थापित करने की अनुमति दे सकती है, और, वहाँ, निर्धारण के अनुसार परीक्षण, ग्रेडिंग और गतिविधियों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक समिति गठित कर सकती है।

उप-समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन 42 ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, बाजार समिति अपने एक या एक से अधिक उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है, जिसमें समिति के ऐसे सदस्य हों, जिन्हे यह अपने किसी भी कर्तव्य या कार्य, जो कार्य देने के लिए उपयुक्त समझते हैं, को निष्पादन के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

ऋण लेने की शक्ति 43 (1) बाजार समिति निदेशक/प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ, बैंकों, वित्तीय संस्थानों से धन जुटा सकती है या उस उद्देश्य जिसके लिए यह स्थापित हुआ है इसमें निहित किसी भी संपति की सुरक्षा पर और इस अधिनियम के तहत लगाए जा सकने वाले किसी भी शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक डिबेंचर जारी कर सकती है।

(2) बाज़ार की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि, भवन, कर्मचारियों और उपकरणों पर प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से बाजार समिति, झारखंड सरकार या झारखंड राज्य के कृषि विपणन बोर्ड या अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर सकती है ।

(3) उप-धारा (2) के तहत जिन शर्तों के अधीन धन या ऋण दिया जाएगा, उन्हें प्राप्त किया जाएगा या और जिस समय के भीतर अदायगी

किया जाएगा झारखंड सरकार या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पूर्ववर्ती अनुमोदन के अधीन होगा।

अपराधों का समाधान	44	(1) बाज़ार समिति किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के (धारा 64 के उल्लंघन के अलावा) या इसके तहत बने नियमों या उपविधिके विरुद्ध, कोई अपराध किया हो या उस पर इस तरह के अपराध किए जाने का यथोचित संदेह हो, ऐसे अपराधों के शमन करके निम्नांकित को स्वीकार कर सकती है (क) जहां अपराध के अंतर्गत भुगतान करने में विफलता या किसी शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क की चोरी, या इस अधिनियम या नियमों या उपविधि के तहत वसूली योग्य अन्य राशि या नियम या इस प्रकार वसूली योग्य राशि जो शुल्क की राशि से कम न हों, या अन्य राशि जो शुल्क राशि की पांच गुना से ज्यादा नहीं हो और अन्य राशि अधिकतम दस हजार रुपये तक। (ख) अन्य मामलों में धनराशि जो दस हजार रुपये से अधिक नहीं हों। (2) उप-धारा (1) के तहत किसी भी अपराध की शमन पर, इस तरह के अपराध के संबंध में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी रहेगी, अगर उस अपराध के संबंध में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही पहले से ही उसके खिलाफ शुरू की गई है, जो उसके बरी होने तक प्रभाव में होगा।
गैर अदायगी शुल्क आदि को बट्टे खाते में डालने की शक्ति	45	बाज़ार समिति कोई शुल्क/उपयोग शुल्क या इसके अलावा देय कोई भी राशि, चाहे वह किसी अनुबंध के तहत या अन्य प्रकार से हो, या इसके अतिरिक्त देय कोई राषि यदि उसकी राय में ऐसा शुल्क/उपयोग शुल्क या एक राशि को बट्टे खाते में डाल सकता है: परन्तुक किकोई शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क या राशि को, यदि शुल्क या राषि पच्चीस हजार रुपये से अधिक हो, तो बाज़ार समिति इस तरह के किसी भी उपयोगकर्ता शुल्क को बट्टे खाते में डालने से पहले प्रबंध निदेशक की मंजूरी प्राप्त करेगी।
बाजार प्रांगण पर अतिक्रमण हटाने की शक्ति	46	इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा शक्ति प्रदत बाजार समिति का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्य बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण में एक स्थान में किसी भी अतिक्रमण को हटाने की शक्ति रखेगा और इस कार्य में हुए किसी भी व्यय का भुगतान अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की वसूली के अनुरूप होगी।
वजन उपकरणों का उपयोग, तौल एवं माप और उनका निरीक्षण	47	(1) राज्य का भार और माप अधिनियम और उनके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित केवल इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण जो ऐसे वजन और माप की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, का उपयोग जैसा कि

आवश्यक हो प्रमुख बाजार प्रांगण, उप बाजार प्रांगण और बाजार-उप प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण और किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण में पशुधन सहित कृषि उपज को तौलने या मापने के लिए किया जाएगा।

परन्तुक कि पशुधन सहित कृषि उपज की बिक्री और खरीद के लेन-देन में, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणका प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत समिति द्वारा रखे गए उपकरणों, वजन और माप का किसी भी समय निदेशक, या प्रबंध निदेशक या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण, परीक्षण और जाँच की जा सकती है।

अनुबंध करने की विधि

48 (1) एक बाज़ार समिति द्वारा खरीद, बिक्री, पट्टे, बंधक या अन्य हस्तांतरण, या अचल संपति में ब्याज के अधिग्रहण हेतु किए जाने वाले प्रत्येक अनुबंध या समझौते को, लिखित रूप मे दर्ज किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है बाज़ार समिति की मंजूरी के साथ जिसे बाज़ार समिति की ओर से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में दिए गए अनुबंध के अलावा कोई भी अनुबंध मान्य और बाजार समिति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

बाजार समिति आदि का कार्रवाई को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए

49 बाज़ार समिति या इसकी कोई उप-समिति या कोई भी व्यक्ति जो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के रूप में कार्य कर रहा हो को केवल इस तरह के बाजार समिति, उप-समिति, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सचिव के गठन या नियुक्ति में किसी दोष के कारण, या इस आधार पर कि वे या उनमें से कोई भी ऐसे कार्यालय के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, या समिति की बैठक आयोजित करने के इरादे की औपचारिक सूचना या उप-समिति को विधिवत नहीं दिया गया था, या समिति या उप-समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव या सदस्य के कार्यालय में रिक्ति के दौरान ऐसे किसी कारण या ऐसी किसी अनौपचारिकता जो मामले के गुणवत्ता को प्रभावित नही करता, अवैध नहीं माना जाएगा।

अध्याय V

बाजार समिति के कर्मी

बाजार समिति के सचिव

50 (1) प्रत्येक बाजार समिति में एक सचिव होगा, जो परिसीमित बाजार क्षेत्र

के बाजार समिति का मुख्य कार्यकारी होगा, जो प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण औरबाजार उप-प्रांगणको प्रशासित करेगा और उसके सभी रिकॉर्ड और संपत्तियों का संरक्षक होगाः

परन्तुक सचिव कृषि/बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र/विपणन/कृषि व्यवसाय में स्नातक होना चाहिए और भर्ती के बाद किए गए न्यूनतम तीन महीने के सेवा प्रशिक्षण या इस तरह के प्रशिक्षण से मुक्त होना चाहिये।

परन्तुक निदेशक/प्रबंध निदेशक, बाजार समिति के सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए, पेशेवरों के एक पैनल को रख सकते हैं, जिसमें खुले बाजार से पेशेवर शामिल हों, जैसा कि नियमों में निर्धारित किया गया हो। निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास झारखंड सरकार बोर्ड की सेवाओं से और प्रतिनियुक्ति पर भी सचिव नियुक्त करने की शक्तियां होंगी और इस तरह की नियुक्तियां बाजार समिति के लिए बाध्यकारी होंगी।

सचिव की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

51 सचिव अधिनियम, नियमों या उपविधियों में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन और प्रदर्शन करेगें, जैसे

(i) बाजार समिति और उप-समितियों की बैठकों का आयोजन, यदि कोई हो तो, और इस हेतु कार्यवाही का संधारण।

(ii) बाजार समिति और प्रत्येक उप-समिति की बैठकों और चर्चाओं में भाग लेना, लेकिन ऐसी किसी भी बैठक में कोई भी प्रस्ताव नहीं लाएंगे या वोट नहीं देंगे।

(iii) समिति और उप-समितियों के प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए कार्रवाई करना, और समिति को इस तरह के संकल्प के जल्द से जल्द किए जाने वाले सभी कार्यों के बारे में रिपोर्ट करना।

(iv) बजट प्रस्ताव तैयार करना।

(v) बाजार समिति को समय-समय पर समिति के रिटर्न,

स्टेटमेंट, अनुमान, आंकड़े और रिपोर्ट, जैसा आवश्यकता हो सकता है, निम्न से संबंधित रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करना-

(क) किसी भी अनुशासनिक कारवाई के लिए कर्मचारी, सदस्य एवं बाजारकार्यकारियों और अन्य के विरुद्ध दंड और जुर्माना लगाना;

(ख) किसी भी व्यापारी द्वारा अत्याधिक व्यापार किया जाना;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम, नियमों, उपविधियों के प्रावधानों के तहत स्थायी आदेश का उल्लंघन;

(घ) अध्यक्ष या निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करना; तथा

(च) बाजार समिति का प्रशासन और प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में विपणन का विनियमन।

(vi) बाजार समिति के समक्ष, ऐसे दस्तावेज, पुस्तकें, रजिस्टर और इन

जैसे जो कि समिति या उप-समिति के व्यवसाय के लेन-देन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और जब भी बाजार समिति द्वारा ऐसा करने का आह्वान किया जाता है, प्रस्तुत करना।

(vii) बाजार समिति के सभी अधिकारियों और सेवकों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना।

(viii) बाजार समिति द्वारा लगाये गये या बकाया देय शुल्क/ उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य धनराशि संग्रह करना।

(ix) बाजार समिति की ओर से जमा या प्राप्त सभी पैसों के लिए जिम्मेदार होना।

(x) बाजार समिति द्वारा विधिवत् देय सभी पैसों का संवितरण करना।

(xi) बाजार समिति कोष या संपति के धोखाधड़ी, गबन, चोरी या नुकसान के संबंध में अध्यक्ष और निदेशक / प्रबंध निदेशक को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना।

(xii) बाजार समिति की ओर से शुरू किए गए अभियोजन के संबंध में शिकायतों को प्राथमिकता देना और बाजार समिति की ओर से कार्यवाही, सिविल या आपराधिक मामलों का संचालन करना।

लेखापाल की नियुक्ति

52 निदेशक/प्रबंध निदेशक, नियम/उपविधियों में निर्दिष्ट योग्यता के साथ, एक लेखापाल की नियुक्ति कर सकता है, जो बाजार समिति के लेखा खातों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा और सचिव को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा और बाजार समिति या सचिव द्वारा उन्हें सौंपे गए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

बाजार समिति द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

53 (1) प्रत्येक बाजार समिति अपने कर्तव्यों, जो आवश्यक और उचित हो, के कुशल निर्वहन के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है:

परन्तुक निदेशक/प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के कोई भी पद सृजित नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम/नियमों में प्रावधानों के अधीन उप-धारा (1) के तहत नियुक्त अधिकारियों और सेवकों की सेवा को विनियमित करने के लिए और उन्हें शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों के अधिकार प्रदान करने के लिए, बाजार समिति नियुक्ति, वेतन, छुट्टी, छुट्टी भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि में योगदान और सेवा की अन्य शर्तों के लिए उपविधियाँ बना सकती है।

(3) इस अधिनियम या उसमें बनाए गए किसी भी नियम या उपविधि के तहत कुछ भी निहित होने के बावजूद, निदेशक/प्रबंध निदेशक उप-धारा (4) में विनिर्दिष्टशर्तों के अधीन, बाजार समिति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी, जो किसी अन्य बाजार समिति के राजस्व द्वारा निर्धारित अधिकतम वेतनमान लेता हो, की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण कर सकता

है और निदेशक/प्रबंध निदेशक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे इस उपधारा के तहत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण का आदेश पारित करने से पहले बाजार समिति या संबंधित अधिकारी या कर्मचारीसे परामर्श करें।

(4) उप-धारा (3) के तहत स्थानांतरित संबंधित अधिकारी या कर्मचारी, -

(क) मूल बाजार समिति में धारित पद पर उसका ग्रहणाधिकार होगा;

(ख) वेतन और भत्ते, जो उन्हें मूल बाजार समिति में प्राप्त हो रहा था, जिसके वे हकदार हैं, के संबंध में उन्हें किसी भी स्थिति में हानिकर स्थिति में नहीं रखा जाएगा,

(ग) ऐसी दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ते का हकदार हांेरेगे जैसा कि निदेशक/प्रबंध निदेशक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है; तथा

(घ) अनुशासनात्मक नियंत्रण सहित ऐसे अन्य नियमों और शर्तों द्वारा शासित किया जा सकेंगे, जिन्हें निदेशक/प्रबंध निदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्टकर सकते हैं।

अध्याय VI

ई-व्यापार

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म की स्थापना / संवर्धन

54 (1) कोई भी व्यक्ति इस धारा के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) में दिए गए अनुसार, हालांकि, झारखंड सरकार या इसकी एजेंसियां, पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार के लिए ई-व्यापार प्लेटफ़ॉर्म स्थापित और चला सकती हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना / नवीनीकरण

55 (1) धारा-54 (1) के तहत ई- व्यापार प्लेटफॉर्म स्थापित करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति ऐसे शुल्क और सुरक्षा / बैंक गारंटी के साथ इस तरह के रूप और तरीके से निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा और ऐसी शर्तों को पूरा करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए उप-धारा (1) के तहत प्राप्त आवेदन को अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है:

परन्तुक कि इस धारा के तहत प्राप्त आवेदन को धारा-73 के तहत निजी बाजार प्रांगण के लिए निर्धारित शर्तों के यथोचित परिवर्तनों सहित शर्तों पर अस्वीकार कर दिया जा सकेगा।

(3) किसी व्यक्ति या झारखंड सरकार या उसकी एजेंसियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रबंधित और संचालित ई-व्यापार प्लेटफॉर्म, ई-व्यापार से जुड़ी सभी आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(4) अनुज्ञप्तिधारी या उसकी प्रबंधन समिति, ई-व्यापार प्लेटफॉर्म पर पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री लेनदेन पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूल कर सकती है:

परन्तुक कि कृषक-विक्रेता से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाएगा।

परन्तुक कि सरकार/प्रशासन सार्वजनिक हित में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह की दर को उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकता है ।

(5) ई-व्यापार प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्तिधारी, अलग से निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन विकास कोष" में ए0पी0एल0एम0सी0 के अनुसार दर प्रतिशत पर पर उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में योगदान देगा। कोष का उपयोग इस अधिनियम की धारा-10 (5) के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

गोदाम/ कोष्टागार / शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान का एकीकरण, जिसे ई-प्लेटफॉर्म के लिए बाजार उप-प्रांगण घोषित किया गया है	56	बाजार उप-प्रांगण के लिए धारा-73 (1) के तहत ई-प्लेटफॉर्म से लिंक करने हेतु इच्छुक अनुज्ञप्ति धारक, झारखंड सरकार, या इसकी एजेंसियों के माध्यम से, कृषि विभाग, भारत सरकार को विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है।
निजी बाजार का एकीकरण	57	निजी बाजार प्रांगण की अनुज्ञप्तिधारी, ई-ट्रेडिंग पोर्टल के साथ एकीकृत करने के इच्छुक, झारखंडसरकार या इसकी एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार को आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
ई-व्यापार प्लेटफॉर्म की आतंरिक संचालन क्षमता	58	एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार को विकसित करने और विभिन्न ई-प्लेटफार्मों को एकीकृत करने के लिए, निदेशक या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार ई-प्लेटफॉर्म में आवेदन अंतर-संचालन योग्य होने चाहिए।
विक्रेताओं को भुगतान और खातों का संधारन	59	(1) इस अधिनियम में निहित प्रावधान के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कारोबार किए गए अधिसूचित कृषि उपज पशुधन सहित का भुगतान, विक्रेता को बिक्री लेनदेन के उसी दिन या अधिकतम अगले दिन किया जाएगा, यदि प्रक्रियात्मक रूप से ऐसा आवश्यक हो। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर, विक्रेता को भुगतान की प्रक्रिया नियम और उपविधि में निर्धारित किया जा सकता है। (2) अनुज्ञप्तिधारी या ए0पी0एल0एम0सी0, जैसा भी मामला हो,

		इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर किए गए सभी लेन-देन के खातों को संधारित करेंगे। और इस तरह के प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी को समय-समय पर, ऐसे समय और रूप में, प्रतिवेदन जमा करेगा, जैसा कि समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्ति को निलंबन या रद्द करना	60	निदेशक, अधिनियम/नियमों/उपविधिं, निर्देश, आदेशों के किसी प्रावधान के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए, धारा 55 के तहत प्रदत्त अनुज्ञप्ति को एक लिखित आदेश पारित करके निलंबित या रद्द कर सकता है परन्तुक कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
विवाद का निपटारा- (i) धारा 55 (1) के तहत अनुज्ञप्तिधारियों के बीच ; तथा (ii) अनुज्ञप्तिधारियों और ए0पी0एल0एम0सी0 के बीच	61	ई-प्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्तिधारियों के बीच/या अनुज्ञप्तिधारियों और ए0पी0एल0एम0सी0/राज्य की एजेंसियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारीपक्षों को अपनी बात कहने का उचित अवसर देते हुए संक्षिप्त सुनवाई कर तीस दिनों के अंदर निपटारा करेंगे।
राज्यांतरिक लेन देन के संबंध में विवाद का निपटारा	62	ई-प्लेटफॉर्म पर राज्यांतरिक लेनदेन के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में निपटारा, अनुज्ञप्तिधारी या बाजार समिति की प्रबंधन समिति के स्तर पर, जैसा कि मामला हो सकता है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से, या सुलह और मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से, सात कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा; जबकि जल्द खराब होने वाले कृषि उपज के मामले में यह तीन कार्यदिवसों के भीतर होगा। प्रबंधन समिति या बाजार समिति, जैसा भी मामला हो, सकारण आदेश जारी करके मामले का निपटारा करेगी।
अंतर-राज्य व्यापार लेनदेन के संबंध में विवाद का निपटारा	63	ई-प्लेटफ़ॉर्म या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर अंतर-राज्य व्यापार लेनदेन से उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में, झारखंड सरकार ऐसे प्राधिकरण का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता ले सकता है, जिसका गठन संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कानून या इसके लिए बनाए जाने वाले किसी कानून के तहत किया जाय।
		अध्याय VII व्यापार का विनियमन
अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का क्रय विक्रय-लेनदेन	64	(1) पशुधन सहित सभी अधिसूचित कृषि उपजों को इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त या नहीं प्राप्त मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण या पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म पर आम तौर पर बेचा जाएगा, परन्तुक कि पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज को इस अधिनियम के

तहत विशेष रूप से नुमति प्राप्त लाइसेंस धारक को अन्य स्थानों पर भी बेचा जा सकता है।

(2) कृषि उपज के संबंध में, उप-धारा (1) में उल्लेखित कुछ भी निम्नलिखित बिक्री और खरीद पर लागू नहीं होगा जहां,

(i) निर्माता द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियमों के तहत निर्धारित सीमा तक उसकी घरेलू खपत के लिए बिक्री की जाती हो;

(ii) व्यक्तिगत रूप से बिक्री के लिए लाया गया हो;

(iii) खरीद और बिक्री एक लघु व्यापारी द्वारा की जाती हो;

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के डीलर द्वारा भारतीय खाद्य निगम, "राज्य वस्तु व्यापार निगम" या केंद्र या/झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी या संस्था से की गई खरीद; तथा

(v) अग्रिम प्राप्त करने के उद्देश्य से सहकारी समिति से ऐसी कृषि उपज का हस्तांतरण।

(3) पशुधन के संबंध में, उप-धारा(1) में उल्लेखित कुछ भी पशुधन की खरीद या बिक्रीजैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, के मूल्यसे अधिक होने पर पर लागू नहीं होगा।

(4) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज, जिसे मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगणमें बिक्री के लिए लाया जाता है,का मूल्य निविदा बोली या खुली नीलामी द्वारा निपटाया जाएगा, जिसमें ई-नीलामी या कोई अन्य पारदर्शी नीलामी प्रणाली भी शामिल है और विक्रेता से किसी भी खाते पर सहमत मूल्य से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(5) खरीदे गए पशुधन सहित सभी अधिसूचित कृषि उपज का वजन या माप या गणनाऐसे व्यक्ति और इस तरह के प्रणाली जैसा कि उपविधिमें प्रावधानित किया गया हो या बाजार समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अन्य स्थान में किया जाएगा।

खरीदने और बेचने की शर्तें और प्रक्रिया

65 (1) दो व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति जो प्रमुख बाजार प्रांगण, सब-बाजार प्रांगण और बाजार उप प्रांगण मे पशुधन सहित अधिसूचित

कृषि उपज खरीदता है, ऐसा रूप में जैसा कि विक्रेता के पक्ष में निर्धारित किया जा सकता है, तीन प्रतियों में एक समझौते को निष्पादित करेगा। समझौते की एक प्रति खरीदार द्वारा रखा जाएगा, एक प्रति विक्रेता को प्रेषित की जाएगीऔर शेष प्रति को बाजार समिति के रिकॉर्ड में रखा जाएगा ।

(2) (क) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप प्रांगण,

निजी बाजार प्रांगण या ई-प्लेटफ़ॉर्म पर विक्रय लेनदेन किए गए अधिसूचित कृषि उपज के मूल्यका भुगतान, उसी दिन या यदि प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक हो, तोअधिकतम अगले दिन विक्रेता को किया जाएगा। प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय किए गए अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का भुगतान उसी दिनकृषक-विक्रेता को वहीं किया जाएगा।

(ख) यदि क्रेता अनुच्छेद (क) के तहत भुगतान नहीं करता है, तो वह कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो विक्रेता को पांच दिनों के भीतर देय होगा।

(ग) यदि क्रेता अनुच्छेद (क) और (ख) के तहत विक्रेता को खरीद के दिन से पाँच दिनों के भीतर अतिरिक्त राषि के साथ भुगतान नहीं करता है, तो उसका अनुज्ञप्ति छठे दिन रद्द माना जाएगा। इस निरस्तीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उसे इस अधिनियम के तहत कोई अनुज्ञप्ति या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) कमीशन एजेंट लेनदेन किए गए गैर-नष्ट होने वाले कृषि उपज पर अपना स्वयं का/इसका कमीशन स्वयं के/इसके प्रमुख व्यापारी सेयथामूल्य अधिकतम दो प्रतिशत की दर से वसूल करेगा; जबकि नष्ट होने वाले कृषि उपज के मामले में, यह हस्तांतरित उपज पर यथामूल्य 4 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगा, जिसमें उपज के भंडारण और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं सहित सभी व्यय शामिल होंगे/इसे प्रदान किया जाएगाः

परन्तुक कि कृषक-विक्रेता से कोई कमीशन वसूलनहीं किया जाएगा।

बाजार शुल्क की वसूली (बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी)

66 (1) बाजार समिति झारखंड राज्य के बाहर से या झारखंड राज्य के अंदर से मुख्य बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण में से ऐसे खरीदार द्वारा खरीदे गए पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में खरीदार से, जैसा अधिसूचित किया जा सकता है उस दर से परंतु जो गैर-नष्ट होने वाले कृषि उपज एवं पशुधन पर यथा मूल्य दो प्रतिशत की दर से अधिक नहीं हो और नष्ट होने वाले कृषि उपज एवं पशुधन पर यथामूल्य एक प्रतिशत की दर से अधिक नहीं हो, शुल्क अधिरोपण करेगी और बाजार शुल्क वसूल करेगीः

परन्तुक कि इस धारा के तहत विनिर्दिष्ट बाजार शुल्क जिसे झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजारप्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म आदि में जिस भी नाम,यानी सेस, उपयोगिता शुल्क, सेवा शुल्क इत्यादि कहा जाता हो, दूसरी बार नहीं लगाया जाएगा,

परन्तुक कि उक्त अधिसूचित कृषि उपज पर लागू दर पर बाजार शुल्क

पहले से हीकिसी भी मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भुगतान किया गया हो और संबंधित व्यक्ति द्वारा इस आशय का प्रमाणप्रस्तुत किया गया है कि झारखंडराज्य में उपरोक्त बाजार शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

परन्तुक कि व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक लेन-देन के मामले में, बाजार शुल्क विक्रेता द्वारा एकत्र और भुगतान किया जाएगा।

परन्तुक कि खरीदार अनुज्ञप्तिधारी न हो और विक्रेता किसान हो, बाजार शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी कमीशन एजेंट की होगी, जो खरीदार से बाजार शुल्क एकत्र कर बाजार समिति को जमा करेगा।

परन्तुक कि क्रेता के अनुज्ञप्तिधारी नहीं होने तथा विक्रेता के किसान होने के ममले में बाजार शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व कमीशन एजेंट का होगा जो क्रेता से बाजार शुल्क वसूली करेगा और बाजार समिति में जमा करेगा।

(2) बाजार समिति उपविधि में विनिर्दिष्ट किये गए दर पर बाजार प्रांगण (ओं) में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क का करारोपणएकत्र करेगी:

परन्तुक कि कृषक विक्रेताओं पर ऐसा कोई और करारोपण नहीं किया जाएगा और शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बाजार समिति द्वारा उपयोग शुल्क की वसूली 67

(1) इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के बावजूद, बाजार समिति पशुधन सहित कृषि उपज के उन वस्तुओं में भी व्यापार की अनुमति दे सकती है जो अधिनियम के तहत विनियमन के लिए अधिसूचित नहीं हैं और विनियमन के लिए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

(2) बाज़ार समिति जैसा कि उप-धारा (1) के तहत प्रदान किए गए व्यापार की अनुमति के लिए, नियमावली में निर्दिष्ट, दर से परंतु जो गैर-नष्ट होने वाले कृषि उपज एवं पशुधन पर यथा मूल्य दो प्रतिशत की दर से अधिक नहीं हो और नष्ट होने वाले कृषि उपज एवं पशुधन पर यथामूल्य एक प्रतिशत की दर से अधिक नहींहो, उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकती है।

(3) इस अधिनियम में दिए गए अनुसार, बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप प्रांगण के बाहर होने वाले फलों और सब्जियों की बिक्री-लेनदेन पर न तो विनियमन लागू करेगी और न करारोपण करेगी और न ही बाजार शुल्क वसूल करेगी।

बाजार शुल्क से छूट देने की शक्ति 68

झारखंड राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा और ऐसी शर्तों और प्रतिबंध के अधीन, यदि कोई हो, के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, इस तरह की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण

और बाजार उप-प्रांगण में बिक्री के लिए लाया या खरीदा या बेचा गया किसी भीकृषि उपज पशुधन सहित में, जैसा कि है उसमें विनिर्दिष्ट है, ऐसी अवधि के लिए बाजार शुल्क का भुगंतान से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सकती है।

इस धारा के तहत जारी कोई भी अधिसूचना उस अवधि, जिसके लिए यह लागू रहा था, की समाप्ति से पहले निष्प्रभावी किया जा सकता है और ऐसे निष्प्रभावी होने से ऐसी अधिसूचना लागू नहीं रहेगी।

व्यापारियों के अलावा बाजार के प्रतिभागी को अनुज्ञप्ति प्रदान/ नवीकरण करना

69

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और इस संबंध में बने नियमों, प्रत्येक व्यक्ति, जो पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में, मुख्य बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण में, व्यापारी को छोड़कर, कमीशन एजेंट, तुलाइकार, मापनेवाला, हम्माल (लोडर-अन लोडर) या अन्य ऐसे बाजार में काम करने वाले के रूप में काम करना चाहता है,बाजार समिति के पास इस तरह के रूप में और इस तरह से निर्धारित किए गए तरीके से अनुज्ञप्ति के प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) बाजार समिति या बाजार समिति द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष उप-धारा (1) के तहत किए गए एक आवेदन पर और इस तरह की पूछताछ करने के बाद, अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकृत करने के लिए जैसा कि उपयुक्त पाया गया हो, अनुज्ञप्ति प्रदान कर या नवीनीकृत कर सकते हैं या निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के आधार पर ऐसे किसी भी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या नवीनीकृत करने से मना कर सकते हैं-

(i) आवेदक नाबालिग है या वास्तविक नहीं है।

(ii) आवेदक को अधिनियम और नियमावली और उपविधि के तहत चूककर्ता घोषित कर दिया गया है।

(iii) आवेदक को अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है।

(iv) बाजार समिति और/या बोर्ड और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित कोई भी आवेदक के विरुद्ध बकाया है।

(v) कोई अन्य कारण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) बाजार समिति या उप-धारा (2) के तहत प्राधिकृत उसके अध्यक्ष उप-धारा (1) के तहत प्राप्त आवेदन का ऐसी तिथि, जब से आवेदन है सभी प्रकार से पूर्ण है,से बीस दिन के अंदर निपटान करेंगे।

व्याख्याः बाजार समिति, आवेदन और संलग्न और दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर जांच करने पर, ऐसी तिथि जब से आवेदन है सभी प्रकार से पूर्ण है, से बीस कार्य दिवसों के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी/नवीनीकरण करेगी; या, लिखित में कारण (ओं) को उल्लेखित करने के बाद, ऐसा करने से मना कर सकते हैं।

(4) उप-धारा (3) के तहत बीस कार्यदिवसों की अवधि समाप्त होने पर,

यदि आवेदन का
निस्तारण नहीं किया गया है, तो जैसा भी मामला हो, यह माना जाएगा कि अनुज्ञप्ति प्रदान कर दिया गया है या नवीनीकृत किया गया है।

(5) बाजार समिति या उसके अध्यक्ष, यदि इस प्रकार से प्राधिकृत हो तो, कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए अधिनियम/नियमों/उपनियमों, निर्देश, आदेशों के किसी प्रावधान के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए इस धारा के तहत प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति को एक आदेश को पारित करके निलंबित या रद्द कर सकते है।

परन्तुक कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान /नवीकरण करना

70 (1) व्यापारी के लिए पूरे झारखंड राज्य के लिए एक एकल अनुज्ञप्ति लागू होगा, जो किसी भी प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजारप्रांगण, उप प्रांगण, इ-व्यापार प्लेटफॉर्म या झारखंड राज्य में इस प्रयोजन के लिए चिन्हित जगह में व्यापारी के रूप में काम करने के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस तरह और इस तरह के रूप में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, से प्रदान/नवीनीकृत किया जाएगा। बाजार समितियों द्वारा दिए गए मौजूदा व्यापार अनुज्ञप्ति झारखंड राज्य कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम 2022 की शुरुआत की तारीख से छह महीने के भीतर निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा झारखंड राज्य के एकल व्यापार अनुज्ञप्ति में बदल दिए जाएंगे। तब तक, बाजार समितियों द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान व्यापार अनुज्ञप्ति झारखंड राज्य में एकल व्यापार अनुज्ञप्ति माने जाएंगे।

व्याख्याः निजी बाजार अनुज्ञप्तिधारी या इस तरह के अन्य अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबंधन समिति, इस तरह के बाजार प्रांगण में संचालित करने की अनुमति देने के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति धारक को पंजीकृत कर सकती है।

(2) व्यापारी के रूप में उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या नवीनीकृत करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, उचित शुल्क के साथ प्रपत्र में निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आवेदन कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उप-खंड (2) के तहत प्रपत्र में और इस तरह की अवधि के लिए आवेदन पर, जैसा आवश्यक प्रतीत हो जांच के बाद, अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीनीकृत कर सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता हैः

परन्तुक कि इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बावजूद, ऐसे अनुज्ञप्ति के प्रदान/नवीनीकरण के लिए अधिवास, खरीद/संग्रह केंद्र की अनिवार्य आवश्यकता और न्यूनतम मात्रा पर विचार नहीं किया जाएगा।

परन्तुक कि इस तरह प्रदान या नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति से, अनुज्ञप्तिधारी के लिए बिना किसी भेदभाव के किसी भी रुप यानि प्राथमिक या द्वितीयक या किसी भी तरह का व्यापार करना अपरिहार्य होगा।

धारा 70 के तहत प्रदान किए गए /नवीनीकृत एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करना

71 (1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस तरह की जाँच के बाद, जैसा वह निर्धारित करने के लिए उचित समझता है, और देने के बाद, निर्धारित तरीके से, अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, धारा 70 के तहत जारी किए गए अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निलंबित या रद्द कर सकता है

(क) कि, अनुज्ञप्ति को जानबूझ कर गलत विवरण देकर या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया है;

(ख) कि, अनुज्ञप्तिधारी स्वयं या अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के साथ मिलीभगत करके किसी भी प्रकार के बाजार में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में जानबूझकर बाधा डालने, निलंबित करने या रोकने के इरादे से कार्य करता है या बाजार में अपने सामान्य व्यवसाय के द्वारा करता है, और इसके परिणाम स्वरुप अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित, निलंबित या बंद हो गया हो।

(ग) कि, अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिनियम या नियमों या उपविधि के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया हो;

(घ) कि, अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिनियम या नियम या नियमावली के तहत दण्डनीय अपराध हेतु दण्डित किया गया हो,

(च) कि, अनुज्ञप्तिधारी दिवालिया हो गया है; या

(छ) कि, अनुज्ञप्तिधारी पर निर्धारित आधार पर कोई भी अयोग्यता लागू होता है।

(2) इस धारा के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द कर दिया जाने पर, इस तरह के अनुज्ञप्ति के धारक को इसे निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करना होगा जिसकी पुष्टि निर्धारित तरीके से की जाएगीं औरइस तरह के निलंबन/रद्द कर दिया जाने पर किसी भी मुआवजे या अनुज्ञप्ति शुल्क या किसी भी अन्य पैसे का पूरा या किसी भी हिस्से की वापसी खाते पर किसी भी दावे के हकदार नहीं होंगे।

अंतर-राज्य व्यापार के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान / नवीकरण करना

72 (1) जैसा कि इस अधिनियम में निहित है, अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए देशव्यापी एकल अनुज्ञप्ति होगा जो निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे तरीके या रुप में, जैसा कि निर्धारित किया जा

सकता है, देश में प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण, या इस उद्देश्य के लिए चिन्हित किसी भी स्थान एवं इ-प्लेटफार्म संचालित करने के लिए प्रदान/नवीनीकृत किया जाएगा।

व्याख्याः इस धारा के तहत अभिव्यक्त "स्थान" में में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह, इलाके, सड़क सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और प्रसंस्करण इकाई आदि शामिल होंगे, जो कि परिसीमित बाजार क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।

(2) धारा 70 के तहत एकीकृत एकल अनुज्ञप्ति, धारा 72 (1) के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या नवीनीकृत करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन पत्र में अपेक्षित शुल्क के साथ, के रूप में आवेदन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) उप-धारा (2) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान के अधीन, आवेदन पर निदेशक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस तरह की जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता हो, धारा 70 के अनुसार यथोचित परिवर्तनों सहित, इस तरह की अवधि, के लिए ऐसे रुप और तरीके से अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीनीकृत कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, झारखंड राज्य द्वारा जारी अंतरराज्यीय व्यापारिक अनुज्ञप्ति धारक को देश भर में ई-प्लेटफार्म या किसी अन्य प्रारूप जो संचालन में हो पर व्यापारिक लेनदेन करने की अनुमति दी जाएगी।

(5) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए झारखण्ड सरकार एक विशेष कोड (Unique) का उपयोग कर सकती है, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(6) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक झारखंड राज्य में लागू दर पर बाजार शुल्क और अन्य विपणन शुल्क का भुगतान, जिस तरह से निर्धारित किया जा सकता है, करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक निर्धारित किए गए या अनुमान के अनुसार, बोली के साथ ऑनलाइन लेनदेन किए जाने वाले लॉट / पशुधन के मूल्य का न्यूनतम पांच प्रतिशत जमा करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(8) इस धाराके प्रावधानों के बावजूद, अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक व्यापार के तौर-तरीकों, भुगतान के तरीके, लॉजिस्टिक्स सहित उत्पाद की वितरण का पालन करेगा, जैसा कि नियम और उपविधि में निर्धारित है।

(9) इस अधिनियम/नियमों/उपविधियों या निर्देशों या आदेशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, निदेशक/प्रबंध निदेशक/बाजार समिति, सुनवाई का अवसर देने के बाद, केवल झारखण्ड राज्य के भीतर, जब एक

निश्चित अवधि के लिए या इस अधिनियम/नियमों/उप-कानूनों या निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के गंभीरता के आधार पर, एक निश्चित अवधि या हमेशा के लिए व्यापार उद्देश्य के लिए इस तरह के अनुज्ञप्ति धारी को काली सूची में डाल सकेंगे।

व्याख्याः उप-धारा (3) के तहत व्यक्त कुछ अवधि के लिए 'काली सूची' झारखंड राज्य में ऐसी अवधि के लिए निलंबन माना जायेगा जबकि 'हमेशा के लिए'काली सूची में डालना राज्य में व्यापारिक उद्देश्य हेतु हमेषा के लिए रद्द कर दिया गया है माना जाएगा।

(10) निदेशक/प्रबंध निदेशक/बाजार समिति, साथ साथ, साक्ष्य के साथ उल्लंघन के प्रकार और प्रकृति का विवरण देने वाला एक प्रस्ताव अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकार को उचित कारवाई के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना / नवीकरण।

73 (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के तहत, निजी बाजार प्रांगण स्थापित करने की इच्छा रखता है, या धारा 11 के तहत, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण स्थापित करने की इच्छा रखता है, या धारा 12 के तहत ऐसी जगह की इच्छा रखता है, जिसे बाजार उप-प्रांगण घोषित किया जाए। निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए, जैसा कि मामला हो, ऐसे रूप में और इस तरह से, और जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है इस तरह की अवधि के लिए जो तीन साल से कम नहीं हो, आवेदन कर सकता है।

(2) धारा 73 (1) के तहत निजी बाज़ार प्रांगण या किसान-बाज़ार प्रांगण या बाज़ार उप-प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरणके लिए, इस तरह के उचित अनुज्ञप्ति शुल्क और सुरक्षा/बैंक गारंटी के साथ, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आवेदन किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के साथ स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगाः

परन्तुक कि इस धारा के तहत प्राप्त आवेदन को निम्न शर्त पर अस्वीकार कर दिया जाएगाः

(i) कि, आवेदक नाबालिग है या वास्तविक नहीं है;

(ii) कि, आवेदक को अधिनियम और नियमों और उप-उपविधि के तहत चूककर्ता घोषित किया गया है;

(iii) कि, बाजार समिति और/या बोर्ड और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित कोई भी राशि आवेदक के विरुद्ध बकाया है;

(iv) कि, संबंधित प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक के पास बुनियादी ढांचा, अनुभव या निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी या किसी अन्य

आवश्यकताएं जो कि निजी बाजार प्रांगण या किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना के लिए निर्धारित की जा सकती हैं नहीं है; और / या

(v) किसी अन्य कारणों से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(4) इस धारा के तहत प्रदान या नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति को ऐसे नियम और शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। अनुज्ञप्तिधारक इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

धारा 73 के तहत प्रदत/नवीनीकृत अनुज्ञप्ति का निलंबन/रद्द किया जाना

74 (1) धारा 73 के प्रावधानों के अधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, अनुज्ञप्तिधारक को लिखित रूप में सूचित करते हुएअनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर सकता है, यदिः

(क) अनुज्ञप्ति जानबूझकर गलत विवरण या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया है; और/या

(ख) अनुज्ञप्ति धारक या उसके प्रतिनिधि या उसकी ओर से या उसकी अनुमति या निहित अनुमति के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति, अनुज्ञप्ति के किसी भी नियम, नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है; और/या

(ग) अनुज्ञप्ति धारक स्वयं या अन्य अनुज्ञप्ति धारक के साथ मिलीभगत से, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में जानबूझकर बाधा डालने, निलंबित करने या रोकने के इरादे से कोई भी कार्यया बाजार क्षेत्र में अपने सामान्य व्यवसाय करने से परहेज करता है; और/या

(घ) अनुज्ञप्ति धारक दिवालिया हो गया है; और/या

(च) अनुज्ञप्ति धारक पर निर्धारित किए गए कोई भी अयोग्यता लागू होता है; और/या

(छ) अनुज्ञप्ति धारक को इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का दोषी ठहराया जाता है।

(2) इस धारा के तहत किसी भी अनुज्ञप्ति को उसके धारक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिनानिलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा।

(3) धारा 74 के प्रावधानों के अधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकारधारा-73 के तहत प्रदान किए गए या नवीनीकृत अनुज्ञप्ति को निलंबल या रद्द करने के बारें में अनुज्ञप्ति धारक को मुखर आदेश द्वारा सूचित करेगी।

प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना।

75 (1) कोई भी व्यक्ति, जिसमें किसान सहकारी, किसान उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) और प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातक शामिल हैं, धारा-13 के तहत प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण के बाहर किसानों से सीधे कृषि उपज खरीदने की इच्छा रखते हैं, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए निदेशक या उसके द्वारा

		प्राधिकृत अधिकारी के पास, जैसा भी मामला हो, ऐसे रूप में और इस तरह से; और ऐसी अवधि के लिए भी, जैसा की निर्धारित किया जायेगा,आवेदन करेगा। (2) प्रत्यक्ष विपणन के लिए इस तरह के उचित अनुज्ञप्ति शुल्क और सुरक्षा/बैंक गारंटी के साथ, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आवेदन करना होगा। (3) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए धारा-75 (1) के तहत प्राप्त आवेदन को धारा-73 (3) के तहत यथोचित परिवर्तनों सहित स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। (4) इस धारा के तहत दी गई या नवीनीकृत की गई एक प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति को ऐसे नियम और शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। अनुज्ञप्तिधारक इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का भी पालन करेगा।
प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करना।	76	धारा-13 के प्रावधानों के अधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, जिसने अनुज्ञप्ति जारी किया है खंड-75 के तहत प्रदत्त/नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति को धारा-74 के तहत यथोचित परिवर्तनांे सहित निलंबित या रद्द कर सकता है।
विवाद निपटारा - (i) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच (i i) अनुज्ञप्तिधारी और ए0पी0एल0एम0सी0 के बीच	77	निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण और प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्तिधारियों के बीच किसी भी प्रकार के विवादया अनुज्ञप्तिधारीयों के बीच/और ए0पी0एल0एम0सी0 के बीच विवाद को निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किये गये अधिकारी द्वारा तीस दिनों के भीतर संक्षिप्त सुनवाई करते हुए पक्षों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद हल किया जा सकता है।
अपील	78	(1) पारा 61 और 77 के तहत निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, ऐसे रुप और तरीके के अनुसार, सरकार/प्रशासन या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है। पक्षों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण तीस दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा। (2) बाजार समिति और निजी बाजारप्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, बाजार सब-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की प्रबंधन समिति, के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर उप-धारा (1) के लिए रुप और

तरीके से यथोचित परिवर्तनों सहित निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है। पक्षों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण तीस दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(3) धारा-78 (1) के प्रावधान के अनुसार, धारा-63 के तहत ई-प्लेटफॉर्म या किसी अन्य ऐसे मंच पर अंतर-राज्यीय व्यापार के संबंध में अपील, किसी भी कानून के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रावधानों के अनुसार होगी।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो इस अवधि के लिए अपील किए गए आदेश पर, जैसा उपयुक्त हो, स्थगन दे सकता है।

(5) इस धारा के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए इस तरह के आदेश में सिविल कोर्ट के निर्णय की शक्ति होगी और इस तरह लागू किया जाएगा।

तदर्थ थोक खरीदार का पंजीकरण 79 (1) कोई भी व्यक्ति जो बाजार-प्रांगण से या बाजार-प्रांगण के बाहर से थोक खरीद का इच्छुक हो, अपने स्वयं के उपभोग के लिए दिन के आधार पर भी बिना वैध लाइसेंस के धारा-75 के तहत दिए गए संबंधित बाजार समिति के साथ उक्त प्रपत्र एवं तरीके से पंजीकरण कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

(क) ऐसे खरीदार पंजीकरण करते समय खरीद की जगह और दिन विनिर्दिष्ट करेंगे;

(ख) बाजार प्रांगण में किए गए इस तरह के खरीद के मामले में, खरीददार बाजार समिति के लिए लागू दर पर बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और बाजार प्रांगण के बाहर किए गए क्रय पर, खरीदार बाजार समिति को लागू बाजार शुल्क के एक-चौथाई का भुगतान करेगा।

परन्तुक कि राज्य में इस तरह की थोक खरीद एक महीने में तीन बार से अधिक नहीं की जा सकती है।

सिविल न्यायालयों पर अधिकार क्षेत्र 80 (1) किसी भी सिविल कोर्ट के पास किसी भी प्रश्न के साथ समाधान करने, निर्णय लेने या उससे निपटाने या किसी भी मामले को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जो इस अधिनियम के तहत या उसके तहत समाधान, तय या निपटाए जाने की आवश्यकता है।

(2) कोई भी अदालत, निदेशक या प्रबंध निदेशक या उसकी ओर से किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गयीशिकायत को छोड़कर इस अध्याय के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

अध्याय VIII

बजट और बाजार समिति कोष

बजट की तैयारी और अनुमोदन

81 (1) प्रत्येक बाजार समिति संबंधित वर्ष का अपने आय और व्यय का प्राक्कलन निर्धारित प्रारुप में तैयार करेगी और पारित करेगी और प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि से पहले प्रबंध निदेशक के पास अनुमोदन हेतु जमा करेगी। प्रबंध निदेशक इसके प्राप्ति के तिथि एक महीने के भीतर, संशोधन के साथ या उसके बिना बजट को स्वीकृति प्रदान करेंगे। यदि प्रबंध निदेशक एक माह के अंदर बजट को नहीं लौटाते हैं तो इसे अनुमोदित माना जायेगा।

(2) प्रबंध निदेशक उप धारा (1) तहत स्वीकृत बजट पर निदेशक की सहमति भी ले सकता है। यदि निदेशक की टिप्पणियों के साथ बजट इसकी प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर वापस नहीं लौटता है, यह माना जाएगा कि निदेशक ने सहमति दे दी है।

(3) बाजार समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं और डिजाइनों के आधार पर बाजार समिति उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट स्थायी कोष के अलावा इसके स्वयं के कोष से इसके निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे सकती है और उनका निष्पादन कर सकती है, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए। पेंशन के भुगतान के अलावा कोई खर्च पेंशन निधि से नहीं किया जाएगा।

(4) किसी भी मद पर बाजार समिति द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाएगा यदि स्वीकृत बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि इसे किसी अन्य मद के तहत बचत से पुनर्विनियोग द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। पुनः विनियोग के लिए अनुमोदन प्रबंध निदेशक से प्राप्त किया जा सकता है, परन्तुक कि एक प्रमुख मद के अधीन लघु मदों से पुनर्विनियोग के मामले में, पुनर्विनियोग के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) बाजार समिति वर्ष के दौरान किसी भी समय, जिसके लिए कोई बजट स्वीकृत किया गया हो, मूल बजट के अनुसार संशोधित या अनुपूरक बजट स्वीकृत और अनुमोदित कर सकती है।

(6) बाजार समिति अपने सकल प्राप्तियों, जिसमें अनुज्ञप्ति शुल्क और बाज़ार शुल्क शामिल हैं, का तीस प्रतिशत तक की राशि को स्थायी कोष और प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित निधि के रुप में पेंशन कोष में जमा करने हेतु बजट में प्रावधान करेगी। स्थायी निधि से कोई व्यय बिना पूर्व अनुमोदन या प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए निर्देश के नहीं किया जाएगा। इस निधि से या धारा 82 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान की गई राशि से कोई व्यय उप-धारा (1) में विनिर्दिष्टबजट में प्रस्तावित नहींकिया जाएगा।

(7) प्रबंध निदेशक/बोर्ड, निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति देते समय अपने विवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि कार्यों का निष्पादन भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार/प्रशासन या बोर्ड/झारखंड सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को इस उद्देश्य के लिए सौंपा जाएगा।

बाजार समिति कोष 82 (1) उप-धारा (2) में उपबंधित के सिवाय, बाजार समिति द्वारा प्राप्त सभी धन को एक कोष जिसे "बाजार समिति कोष" कहा जाएगा को दिया जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए सभी व्यय को उक्त कोष से किया जाएगा। इस तरह के व्यय को पूरा करने के बाद बाजार समिति के पास शेष कोई भी अधिशेष को जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, इस तरह से निवेश किया जाएगा।

(2) बाजार समिति द्वारा मध्यस्थता शुल्क या विवादों से संबधितमध्यस्थता कार्यवाही के सुरक्षा लागत के रूप में या सुरक्षा जमा के रुप में, भविष्य निधि में योगदान या आवश्यकतानुसार पशुओं सहित अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में और बाजार के कार्यकारियों को आवश्यक देय शुल्क और किसी माध्यम से जैसा कि नियमों या उपविधि में प्रावधान किया जा सकता है बाजार समिति द्वारा प्राप्त ऐसे अन्य राशि,बाजार समिति कोष का हिस्सा नहीं बनेंगे और जैसा निर्धारित किया जा सकता है संधारित किए जाएंगे।

(3) जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया हो बाजार समिति कोष मे जमा राशि और साथ ही बाजार समिति द्वारा प्राप्त अन्य राशि एक अनुसूचित राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक या डाकघर बचत बैंक या किसी अन्य में बचत करने हेतु प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के साथ रखा जाएगा।

बाजार समिति कोष का उपयोग 83 धारा-82 के प्रावधानों के अधीन, बाजार समिति इस अधिनियम के तहत कार्यों के निर्वहन के लिए और उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाजार समिति कोष का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रावधान की व्यापकता के पक्षपात के बिना बाजार समिति कोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे-

(i) बाजार प्रांगण के लिए स्थल या स्थलों का अधिग्रहण।

(ii) बाजार प्रांगण की स्थापना, रखरखाव और सुधार।

(iii) बाजार प्रांगण के प्रयोजन के लिए और बाजार प्रांगण का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के लिए आवश्यक भवन का निर्माण और मरम्मत।

(iv) मानक माप तौल का रखरखाव।

(v) बाजार समिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि में अंशदान, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए भुगतान सहित स्थापना की बैठक का प्रभार्य।

(vi) बाजार समिति के कर्मचारी को ऋण और अग्रिम।

(vii) बाजार यार्डों के विकास के प्रयोजन के लिए और कार्य योजना में शामिल अन्य कार्यों

के लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान; और ऐसे ऋणों के संबंध में निक्षेप निधि का प्रावधान।

(viii) फसल के आंकड़ों और कृषि उपज के कुशल विपणन से संबंधित जानकारी का संग्रह और प्रसार।

(ix) बाजार समिति के खाते के अंकेक्षण में होने वाले खर्च।

(x) बाजार समिति के पदेन सदस्य (सदस्यों) को छोड़कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क का भुगतान।

(xi) बोर्ड द्वारा संधारित विपणन विकास कोष और निदेशक द्वारा संधारित चक्रीय विपणन विकास कोष में अंशदान।

(xii) परिवहन सहित कृषि विपणन के विकास के लिए किसी भी योजना में अंशदान

(xiii) ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवता प्रमाणन सेवाओं और गतिविधियों के लिए आकस्मिक गतिविधियों जैसी सुविधाएं प्रदान करना।

(xiv) इस अधिनियम के तहत चुनावों पर होने वाले खर्चों का भुगतान

(xv) पशुधन सहित कृषि उपज के विपणन के विकास में अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण पर सभी व्यय करना।

(xvi) बंधक वित्तपोषण और विपणन ऋण को बढ़ावा देने के लिए व्यय करना।

(xvii) फसलोत्तर कार्य के लिए स्वयं या सार्वजनिक निजी साझेदारी के द्वारा पशुधन, शीत भंडार, प्री-कूलिंग सुविधाएं पैक हाउस के लिए आधारभूत संरचना विकास सहित आधुनिक विपणन प्रणाली विकसित करने के लिए ऐसी सभी आधारभूत संरचना बनाना और बढ़ावा देना।

(xviii) इस अधिनियम के तहत पशुधन सहित कृषि उपज के विपणन से जुड़ा कोई अन्यउद्देश्य, जिसमें बाजार समिति कोष का जनहित में व्यय प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन है।

अध्याय IX

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद की स्थापना

84 झारखंड सरकार बाजारों और विपणन आधारभूत संरचना और उपयुक्त सेवाओं के विकास से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने और समन्वय के

लिए और इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन, प्रदत्त या सौंपे गये इस तरह के अन्य शक्तियों के प्रयोग और ऐसे कार्यों का प्रदर्शन करते हुए झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद की स्थापना और गठन करेगी।

बोर्ड का निगमन

85 पर्षद एक निगमित निकाय होगा जिसमें सतत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुहर और जो अपने निगमित नाम से मुकदमा दायर कर सकेगा या जिस पर मुकदमा किया जा सकेगा और चल एवं अचल दोनों संपतियांे अर्जित करने और रखने और इस तरह की संपति को पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा किसी को हस्तांतरित, अनुबंध करने और अन्य सभी काम जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है को करने के लिए आवश्यक है, हेतु सक्षम होगा।

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद का गठन

86 पर्षद में झारखंड सरकार द्वारा नियुक्त या निर्वाचित एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इस तरह के निर्वाचित अन्य सदस्य हो सकते है।

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद की संरचना

87 पर्षदकी संरचना इस प्रकार होगी,

1. अध्यक्ष -झारखंड राज्य के बाजार समिति केअध्यक्षों, उपाध्यक्षों और और अन्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गएः

परन्तुक कि अध्यक्ष एक कृषक हो।

2. उपाध्यक्ष -झारखंड राज्य के बाजार समिति केअध्यक्षों, उपाध्यक्षों और और अन्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए।

3. (i) झारखंड सरकार द्वारा बाजार समितियों के अध्यक्षों में से छह सदस्यों को विहित प्रक्रिया के अनुसार नामित किया जाना है।

(ii) झारखंड सरकार द्वारा निजी बाजार प्रांगण, प्रत्यक्ष विपणन, बाजार उप-प्रांगण और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगप्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्तिधारियों, के बीच में प्रत्येक से एक सदस्य को नामित किया जाना है।

(iii) सरकार/प्रशासन द्वारा पंजीकृत किसानों-उत्पादक कंपनी, यदि कोई हो, से एक सदस्य को नामित किया जायेगा।

(iv) झारखंड सरकार द्वारा एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति धारकों में से एक सदस्य, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, को नामित किया जाना है।

(v) झारखंड सरकार द्वारा अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक के बीच से एक सदस्य को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

4. अन्य पदेन सदस्य -

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी या उनके नामिती जो झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का न हो।

(ii) मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शहरी/ग्रामीण विकास या उनके नामिती जो झारखण्ड सरकार के उप सचिव के पद से अन्यून न हो।

(iii) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के प्रतिनिधि जो उप-महाप्रबंधक के पद से अन्यून न हो।

(iv) सहकारी समितियों के निबंधक

(v) झारखंड राज्य के कृषि विपणन पर्षद के प्रबंध निदेशक।

बोर्ड के प्रबंध निदेशक, अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति 88 (1) पर्षद में एक प्रबंध निदेशक होगा जो झारखंड सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक, पर्षद के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(3) पर्षद अधिनियम के तहत कर्तव्यों और कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है।

(4) सभी अधिकारियों और सेवकों पर अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड के प्रबंध निदेशक में निहित होगा।

बोर्ड के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 89 (1) पर्षद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के पद का कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए होगा।

हालाँकि, सदस्यों की सदस्यता सरकार की इच्छा पर रहेगा।

झारखंड सरकार, यदि यह उचित समझे तो,बोर्ड के किसी भी सदस्य को उनके पद का कार्यकाल समाप्ति से पहले हटा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति दो कार्यकाल से अधिक बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकता है।

(3) झारखंड सरकार अपने प्रस्ताव पर या कुल सदस्यों और पर्षद के बहुमत मतदान एवं दो तिहाई उपस्थित सदस्यों से पारित प्रस्ताव पर बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कदाचार यालापरवाही या कर्तव्य निभाने में अक्षम होने पर हटा सकती है और इस तरहकेनिष्कासन पर वह ऐसे निष्कासन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए पात्र नहीं होंगेः परन्तु कि इस तरह के निष्कासन का कोई आदेश संबंधित को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 90 बोर्ड के एक आधिकारिक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जैसे ही उनका कार्यालय अधिकार, जिसके आधार पर उन्हें नामांकित किया गया था का अंत हो जाएगा।

बाजार समिति, जहाँ से सदस्य बोर्ड में नामित रहे हैं, के अधिक्रमण की स्थिति में संबंधित सदस्य कीसदस्यता समाप्त हो जाएगी।

बोर्ड के सदस्यों के लिए भता 91 पदेन सदस्य के अलावा बोर्ड के अन्य सदस्यों को विपणन विकास निधि से इस बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क और भते का भुगतान किया जाएगा, जो कि सरकार/प्रशासन द्वारा किसी अन्य कार्य में भाग लेने के

लिए समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

आकस्मिक रिक्तियों को भरना

92 बोर्ड या किसी भी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र या अयोग्यता या निष्कासन की स्थिति में उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उत्पन्न होने वाली कार्यालय में रिक्ति, एक आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा। इस तरह के कार्यालय में और इस तरह की रिक्ति को नामांकन द्वारा झारखंड सरकार द्वारा जैसे शीघ्र हो सकता है, भरा जाएगा। जिस व्यक्ति को नामांकित किया गया है, वह अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यालय अवधि के लिए इस पद पर रहेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के इस्तीफे

93 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य झारखंड सरकार के पास अपना इस्तीफा देकर संबंधित पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनके इस्तीफे की स्वीकृति की तारीख से इस तरह का पद खाली हो जाएगा:

पर्षद के सदस्यों की अयोग्यता

94 कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो-

(क) दिवालिया है, या किसी भी समय, दिवालिया हो चुका है; या

(ख) अपराधी है, या एक अपराध का दोषी पाया गया है, जिसमें सरकार / प्रशासन की राय इसमें नैतिक अधमताशामिल है; या

(ग) सक्षम अदालत द्वारा अस्वस्थ दिमाग का घोषित किया गया हो; या

(घ) बोर्ड या बाज़ार समिति के साथ कोई अनुबंध में किसी कंपनी या फर्म का निदेशक या सचिव,

प्रबंधक या अन्य वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी हो; या

(च) किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 114 और / या 126 के तहत दोषी पाया गया है; या

(छ) सरकार/प्रशासन के विचार से, एक सदस्य के रूप में अपने पद का इतना अवमूल्यन ।

उप-समिति की नियुक्ति

95 पर्षद, अपने किसी भी कर्तव्य या कार्य के निष्पादन के लिए या किसी भी मामले पर आकस्मिक रूप से सलाह देने के लिए, अपने तीन या अधिक सदस्यों से युक्त उप-समितियों को नियुक्त कर सकता है जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी शामिल होंगे, और इस तरह के उप-समिति को अपने किसी भी कर्तव्य या कार्य को, जैसा आवश्यक समझा जा सकता, सौंप सकता हैं।

बोर्ड का अधीक्षण

96 झारखंड सरकार बोर्ड और इसके अधिकारियों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगी और जैसा आवश्यक प्रतीत हो, इस तरह के सूचना की मांग कर

सकती है।पर्षद ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके संतुष्ट होने की स्थिति में, यह बोर्ड को निलंबित कर सकता है और जब तक एक नया पर्षद गठित नहीं हो जाता है, तब तक पर्षदके कार्यों के निवर्हन के लिए, जैसा यह उचित समझ, व्यवस्था करेगी।

परन्तुक कि इसके निलंबन की तिथि से छह महीने के अंदर पर्षद का गठन किया जाएगा।

बोर्ड के कार्य एवं शक्तियां 97 (1) पर्षद, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित कार्य करेगी और इसे जैसा आवश्यक हो या इन कार्यों के निष्पादन के लिए इस तरह की शक्ति होगीः

(i) बाजार समितियों के कार्य और इस प्रकार के अन्य मामलों यथा ऐसे बाजार समितियों द्वारा प्रमुख बाजार प्रांगण, उप- बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण सहित और भी

निरुपित बाजार क्षेत्रों का विकास के लिए किए गए कार्यक्रमांे का समन्वय;

(ii) मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में कृषि उपज सहित

पशुधनका विकास के लिए झारखंड राज्य स्तर की योजना कार्यान्वित करना।

(iii) झारखंड राज्य विपणन विकास निधि प्रशासित करना ।

(iv) सामान्य रुप से बाजार समितियांे या विशेष रूप से किसी भी बाजार समिति को

उसमें सुधार सुनिश्चित किए जा सकने हेतु निदेशित करना ।

(v) इस अधिनियम के तहत सौंपा गया कोई अन्य विशेष कार्य।

(vi) सरकार/प्रशासन द्वारा इसे सौंपे जा सकने वाले समान प्रकृति के ऐसे अन्य कार्य।

(2) वर्तमान प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, बोर्ड के कार्यों में निम्नांकित शामिल होंगेः

(i) प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण की स्थापना के लिए बाजार समितियों द्वारा नए स्थलों के चयन के प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ii) प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण और निरुपित बाजार क्षेत्र में भी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी;

(iii) बाजार समितियों द्वारा किए गए निर्माण कार्यक्रम की योजनाओं और प्राक्कलनों की तैयार करने में बाजार समितियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन;

(iv) पर्षद के कोष सेभारित सभी कार्यों का निष्पादन;

(v) इस तरह के रूप में लेखा खातों का रखरखाव जैसा, कि निर्धारित किया जा सकता है और जैसा कि पर्षद के विनियमन में निर्धारित किया गया हो, उसी तरह से लेखा परीक्षण करना;

(vi) वर्ष के अंत में इसकी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, बैलेंस शीट और परिसंपतियों और देनदारियों के विवरण का प्रकाशन; और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और झारखंड सरकार को इसकी प्रतियों का प्रेषण;

(vii) विपणन प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के हस्तांतरण के लिए बोर्ड में अलग से विपणन विस्तार प्रकोष्ठ स्थापित करना। बोर्ड कृषि उत्पादों के विनियमित विपणन से संबंधित मामलों पर जागरूकता सृजन अभियान के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है जिसमें पशुधन और विपणन सुविधाओं का विकास शामिल है;

(viii) सभी स्तरों पर कृषि विपणन में प्रशिक्षित कर्मियों की मांग का आकलन करने के बाद बाजार समितियों के अधिकारियों और सेवकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना। विभिन्न बाजार कार्यकारियों, समिति के सदस्यों और किसानों आदि के लिए भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय, जो राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है, की आवश्यक अकादमिक सहायता से कृषि विपणन में प्रशिक्षण के लिए कॉलेज/केंद्रों के साथ एक प्रशिक्षण प्रकोष्ट तैयार करना।

(vi) उपयुक्त तकनीक के माध्यम से किसानों या उनके समूहों को उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करना;

(ix) आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करने में मदद करना

(x) बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाजार समिति को ऋण पर उपदान देना

(xi) कृषि विपणन से संबंधित विषयों पर सेमिनार/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों आदि की व्यवस्था या आयोजन करना

(xii) ऐसे अन्य कार्य करना जो बाजार समितियों के लिए सामान्य हित के हो सकते हैं या

बोर्ड के कुशल कामकाज के लिए आवश्यक माने जा सकते हैं;

(xiii) बाजार समितियों कोपशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के ग्रेडिंग और मानकीकरण को बढ़ावा देने में सुविधा , ऑन लाइन व्यापार और गतिविधियों के लिए जांच प्रयोगशालाओं और अन्य बुनियादी संरचनाओं की स्थापना में सहायता करना

(xiv) बाजार समितियों को पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के लिए रोधक बाजार विकसित करने हेतु ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना; तथा

(xv) विपणन निदेशालय के तकनीकी सहायता के साथ एक सलाहकार समिति का गठन और अधिसूचित कृषिउपज और पशुधन के कुशल विपणन, जिसमें ग्रेडिंग, मानकीकरण पैकेजिंग गुणवत्ता प्रमाण पत्र से

संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है को बढ़ावा देना।

विनियम	98	(i) पर्षद झारखंड सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ नियम बना सकता है जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत नहीं हो। (ii) विशेष रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह पूर्वगामी शक्ति के सामान्यता के लिए सभी या निम्नलिखित मामलों में से कोई या सभी ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं - (क) बोर्ड की बैठकों का सम्मन और आयोजन इस तरह की बैठकें आयोजित करने का समय और दिनांक ऐसी बैठकों में कार्य का संचालन और उसका कोरम बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या । (ख) पर्षद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारी की शक्तियां और कर्तव्य । (ग) पर्षद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और बाजार समितियों के अधिकारियों के वेतन और भते और सेवा की अन्य शर्तें । (घ) पर्षद की संपत्ति का प्रबंधन । (च) पर्षद की ओर से अनुबंध और संपत्ति के आश्वासनों का निष्पादन । (छ) पर्षद द्वारा खातों का रखरखाव और बैलेंस शीट की तैयारी (ज) इस अधिनियम के तहत पर्षदके कार्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया। (झ) अन्य मामले जिसके लिए विनियमन में प्रावधान होना है या हो सकता है।
"विपणन विकास कोष"	99	पर्षद की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी धन एक कोष "विपणन विकास कोष" में जमा किया जाएगा।
बोर्ड द्वारा किया गया भुगतान	100	पर्षद द्वारा, सभी भुगतानों को "विपणन विकास कोष" से अदा कर दिया जायेगा ।"
"विपणन विकास कोष" में योगदान	101	इस अधिनियम के तहत पर्षदको सौंपे गए कार्यों का निष्पादन एवं बोर्ड की स्थापना के खर्च और किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्येक बाजार समिति, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता हो, अपनी आय का बीस प्रतिशत तक, जो अनुज्ञप्ति शुल्क और बाजार शुल्क से प्राप्त आय का प्रतिशत होगा, पर्षद द्वारा बनाए गए "विपणन विकास कोष" को भुगतान करेगी।
बॉन्ड या स्टॉक जारी करके ऋण लेना	102	इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, पर्षद झारखंड सरकार से या झारखंड सरकार के पिछले अनुमोदन के साथ से निम्न से धन ऋण ले सकता है (i) किसी अन्य एजेंसी से; या

(ii) इस अधिनियम या बने नियमों के तहत इसमें निहित किसी संपति के प्राधिकार परया भविष्य में इसके होने वाली आय के एक हिस्से की प्रतिभूति पर डिबेंचर जारी करना।

बोर्ड द्वारा संधारित विपणन विकास कोष का उपयोग

103 (1) विपणन विकास कोष का उपयोग पर्षद द्वारा स्वयं या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इस अधिनियम के तहत बोर्ड को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाएगा।

(2) इस प्रावधान की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, बाजार विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, अर्थात्-

(i) पर्षद के प्रशासनिक व्यय का भुगतान।

(ii) पर्षद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की यात्रा और अन्य भत्ते का भुगतान।

(iii) पर्षद द्वारा किए गए कानूनी खर्चों का भुगतान।

(iv) विकास के प्रस्तावों के लिए ऋण या अनुदान के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर बाजार समितियों को सहायता प्रदान करना।

(v) कृषि उपज के विपणन से संबंधित मामलों में प्रचार और प्रसार पर।

(vi) बाजार समितियों और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा बाजार प्रतिभागियों और कृषकों को भी प्रशिक्षण देना।

(vii) विपणन के विकास पर कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन और व्यवस्था करना।

(viii) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजारप्रांगण में आधारभूत संरचना सुविधाओं को बढावा देना और निर्माण और निरुपित बाजार क्षेत्र में भी सामान्य आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(ix) कौशल विकास और बंधक वितपोषण गतिविधियाँ करना।

(x) बाजार सर्वेक्षण और अनुसंधान, ग्रेडिंग और मानकीकरण, गुणवता परख, कृषि उपज का गुणवत्ता प्रमाणन, ऑन-लाइन ट्रेडिंग और अन्य से जुड़ी गतिविधियां कराना।

(xi) बोर्ड के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए भवनों या भूमि के पट्टे या अन्यथा अधिग्रहण या निर्माण या किराए पर लेना।

(xii) बोर्ड और बाजार समितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा।

(xiii) निरुपित बाज़ार क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के विपणन के लिए हाट बाजारों और किसान-उपभोक्ता बाजारों का विकास; और पशुधन के लिए भी ऐसे बाजार विकसित करने की संभावना का पता लगाना।

(xiv) इस अधिनियम के तहत या आवश्यकतानुसार अन्य उद्देश्य हेतु सरकार / प्रशासन द्वारा निर्देशित पर्षदको सौंपे गए कार्यों का निष्पादन।

पर्षद के खातों का लेखा परीक्षण

104 (1) पर्षद के खाते झारखंड राज्य स्थानीय लेखा परीक्षा अधिनियम के तहत या प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट या सरकार/प्रशासन के अनुसार, अन्य

एजेंसी द्वारा किए जाएंगे जो उपयुक्त हो ।

(2) पर्षद खातों के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कि यह उपयुक्त समझे।

(3) पर्षदके वार्षिक खातों और बैलेंस शीट को प्रबंध निदेशक द्वारा तैयार किया जाएगा और बोर्ड द्वारा विभिन्न स्रोत से एकत्रित या प्राप्त सभी धनराशि की निकासी या भुगतान की गई राशि खातों में दर्ज की जाएगी।

(4)लेखा परीक्षा के समय, लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, लेखा परीक्षा अधिकारीद्वारा मांगे जानेवाले सभी खातों, रजिस्टर, दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक कागजात को प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए इस तरह के अधिकारी द्वारा मांगे गए व्याख्या को तुरंत उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) लेखा परीक्षित होने पर लेखा खातों को छापा जाएगा। खातों की लेखा परीक्षा टिप्पणी के साथ पर्षद के समक्ष रखा जाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन 105 (1) (i) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, प्रबंध निदेशक /सदस्य सचिव या इसके द्वारा नियुक्त उप-समिति या बोर्ड के किसी भी अधिकारी को,जैसा यह उपयुक्त हो सकता है, अधिनियम के तहत शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकता है।

(2) पर्षद का अध्यक्ष या सदस्य सचिव इस अधिनियम के तहत पर्षदके किसी अधिकारी को अपनी शक्ति सौंप सकता है।

अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी का पर्यवेक्षण और नियंत्रण 106 (1) पर्षदके अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) पर्षदके अधीक्षण के अधीन, पर्षदके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण और निदेशन बोर्ड के मुख्य कार्यकारीमें निहित होंगे।

प्रबंध निदेशक की कार्य एवं शक्तियां 107 प्रबंध निदेशक निम्न कार्य करेगाः

(i) कार्यकारी प्रशासन, खातों और अभिलेख से संबंधित मामलों, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण स्थापित करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों के सेवा से संबंधित सभी मामलों का निपटान ;

(ii) पर्षदद्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश और प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;

(iii) स्वीकृत कार्य के मदों पर विपणन विकास कोष से व्यय का वहन करना;

(iv) आपात स्थिति के मामले में, किसी भी कार्य के क्रियान्वयन या रोकनेहेतु निर्देशित करना और

किसी भी कार्य को करना जिसे पर्षद की मंजूरी की आवश्यकता होती है;

(v) पर्षद का वार्षिक बजट तैयार करना;

(vi) पर्षद के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना;

(vii) पर्षद की बैठकों की व्यवस्था करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पर्षद की बैठकों की कार्यवाही के रिकॉर्ड को संधारित करना;

(viii) पर्षद के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जैसा आवश्यक समझे कदम उठाना;

(ix) अपने स्वयं के निधि या ऋण और/या पर्षद या किसी अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों से बाजार समितियों द्वारा किए गए निर्माण कार्य का निरीक्षण या सुधारात्मक उपाय करना;

(x) सरकार या प्रशासन को, इस तरह के बाज़ार समितियों या बोर्ड के ऐसे कार्य जो इस अधिनियम या नियमों और उपविधियों के तहत निर्धारित प्रावधानों के विपरीत हैं का रिपोर्ट करना;

(xi) पर्षद के कार्यों का प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे गए कदम उठाना ।

पर्षद के कार्यकलापों का संचालन

108 (1) पर्षद इसके कार्यकलापों के लिए प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बारअध्यक्ष द्वारा निर्धारित जगह और समय पर, बैठक आयोजित करेगा।

(2)अन्यथा उप-धारा (1) में दिए गए अनुसार अध्याय vi के प्रावधान यथोचित परिवर्तनो के साथ पर्षद के व्यवसाय के संचालन के लिए लागू हांगें।

(3) पर्षदकी सभी कार्यवाही अध्यक्ष, सदस्य-सचिव/प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और पर्षद द्वारा जारी किए गए अन्य सभी आदेश और अन्य निर्देश अध्यक्ष, सदस्य-सचिव/प्रबंध निदेशक या विनियमन द्वारा पर्षद के इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है ।

(4) पर्षद व्यवसाय का संचालन नियम के तहत निर्धारित रीति से करेगा।

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियाँ

109 पर्षद के अध्यक्ष, जैसा की निर्धारित किया जा सकता है, इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

अध्याय X

निदेशक की नियुक्ति, अधिकार एवं शक्तियां

कृषि विपणन निदेशक की नियुक्ति

110 इस अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत झारखंड सरकार कृषि विपणन निदेशक के अधिकार का प्रयोग करने या कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है: परन्तु कि कृषि विपणन निदेशक बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पद के समतुल्य नहीं होंगे।

कृषि विपणन निदेशक की शक्ति और कार्य।

111 (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के तहत बोर्ड के प्रबंध निदेशक के लिए निर्धारित किए गए कार्यों के अलावा, निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अन्य ऐसे कार्य कर सकता है, जिससे इस अधिनियम के प्रावधानों का उचित निष्पादन हो सके। अधिनियम, नियमों के तहत राज्य सरकार स्वयं मे निहित किसी भी या सभी विनियामक शक्तियांे को निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) धारा 116 के प्रावधानों की व्यापकता के बिना विशेष रुप से और पूर्वाग्रह के बिना, निदेशक के कार्यों में निम्न शामिल हो सकते हैं-

(i) निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण,निजी बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्रत्यक्ष विपणन की स्थापना और /या संचालन हेतु किसी व्यक्ति को दिया गया अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/ नवीकरण और निलंबन या रद्द करना

(ii) झारखण्ड राज्य के लिए एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/नवीकरण और निलंबन या रद्द करना

(iii) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/नवीकरण और निलंबन या रद्द करना;

(iv) किसी अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी झारखंड राज्य क्षेत्र के भीतर अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति के संचालन को काली सूची में डालना;

(v) मुख्य बाजार के प्रांगण, उप- बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में पशुधन सहित कृषि उपज के लेनदेन से संबंधित अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाजार समितियों पर पर्यवेक्षण;

(vi) परिसीमित बाजार क्षेत्रों में नियमन को लागू करना;

(vii) बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधान (ओं) के उल्लंघन के लिए अभियोजन की शुरूआत;

(viii) अधिनियम के उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिनियम और नियमों में संशोधन करने के लिए झारखंड सरकार को सुझाव देना;

(ix) इस अधिनियम और नियमों के तहत बाजार समिति द्वारा बनाए गए उपविधियों की मंजूरी;

(x) बाजार समिति और पर्षद के खातों के लेखा परीक्षण के लिए व्यक्ति (ओं) या संगठन की पहचान करना।

(xi) बाजार समिति के बजट के अनुमोदन पर सहमति;

(xii) बाजार समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के सृजन को मंजूरी;

(xiii) राज्य कृषि विपणन सेवाओं के कर्मियों की नियुक्ति और स्थानांतरण, यदि कोई हो, और उनके लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

(xiv) बाजार समिति और बोर्ड के चुनावों के समयबद्ध और उचित संचालन के लिए कदम उठाना और इससे जुड़ी गतिविधियाँ करना;

(xv) बाजार समिति के अध्यक्ष के इस्तीफे की स्वीकृति;

(xvi) निजी बाज़ार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाज़ार प्रांगण, निजी बाज़ार प्रांगण, उप-बाज़ार प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म और प्रत्यक्ष विपणन और एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति और अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति के धारक के अनुज्ञप्तिधारी के लिए विवाद समाधान प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए;

(xvii) बाजार समिति के एक आदेश से पीड़ित किसी व्यक्ति के अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(xviii) बाज़ार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन;

(xix) बाज़ार समिति के उपाध्यक्ष और सदस्य को, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है तरीके से, पद से हटाया जाना;

(xx) यदि आवश्यक हो तो, बाजार समिति के खातों और कार्यालय का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराया जाना।

चक्रीय विपणन विकास कोष

112 (1) निदेशक, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप-प्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्रत्यक्ष विपणन और ऐसे अन्य योगदानों के अनुज्ञप्तिधारियों के अंशदान और बाजार समिति सहित अन्य से प्राप्त अंशदान प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए एक अलग "चक्रीय विपणन विकास कोष" का संधारण करेगा।

(2) प्रत्येक बाजार समिति अनुज्ञप्ति शुल्क और बाजार से प्राप्त शुल्क, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, से प्राप्त अपनी आय का पाँच प्रतिशत अंशदान निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन विकास कोष में योगदान करेगी।

(3) निदेशक, उप-धारा (1) के तहत संधारित, कोष का झारखंड राज्य में एक कुशल विपणन प्रणाली तैयार करने में सहायक सामान्य विपणन आधारभूत संरचनाविकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और बंधक वित्तपोषण और ऐसे अन्य गतिविधियों में व्यय करेंगे।

कृषि विपणन निदेशक के कार्यालय और कर्मचारी।

113 (1) निदेशक, इस तरह के कर्तव्यों का निर्वहन करने और इस अधिनियम/नियमों के तहत सौंपे गए कार्यों को करने के लिए, झारखंड

सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित कर सकते हैं।

(2) जिला स्तर के कार्यालयों का प्रमुख अधिकारी, ऐसी योग्यता और अनुभव रखने वाले, लेकिन उप निदेशक या भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं होने चाहिए।

(3) जिला स्तर के अन्य अधिकारी, इस तरह की निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले, राज्य के कृषि विपणन सेवा संवर्ग, यदि कोई हो, या अन्यथाया प्रतिनियुक्ति पर नियम के अनुसार होने चाहिए।

अध्याय XI

दंड

अधिनियम, नियमों और उपविधि के उल्लंघन के लिए जुर्माना

114 कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का या इसके तहत जारी किसी भी नियम या उपनियम या आदेश उल्लंघन करता है, जो छह महीने तक के साधारण कारावास तक या पांच हजार रुपये तक जुर्माना के साथ या दोनों के साथ दण्डनीय हो सकता है।

परन्तुक कि धारा 65 के प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन के मामले में, उसे एक और जुर्माना के साथ दंडित किया जा सकेगा, जो पहली सजा के बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन दो सौ रुपये के हिसाब से बढ़ सकता है।

बाजार की बकाया राशि की वसूली

115 जब भी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो दंडाधिकारीद्वारा लगाए जाने वाले किसी भी जुर्माना के अतिरिक्त, इस अधिनियम या नियम या उपविधि के अधीन बकाया और बाजार समिति को उसके द्वारा देय कुल शुल्क की राशि या किसी अन्य राशि का भुगतान की वसूली कर सकता है, इसके अतिरिक्त स्वयं के विवेक से, बाजार समिति को अभियोजन की लागतों को भी वसूली और भुगतान करा सकता है।

अपराधों का संज्ञान

116 सिविल (व्यवहार) न्यायालय इस अधिनियम या किसी नियम या किसी भी उपविधि के तहत किए गए किसी भी दंडनीय अपराध का इस संबंध में निदेशक या इसके लिए अधिकृत अधिकारी या बाजार समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या बाजार समिति द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के अलावा संज्ञान नहीं लेगा।

निरीक्षण, पूछताछ, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आदि।

117 (1) स्वविवेक से, प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृतकिसी अधिकारी, या सरकार / प्रशासन या अधिकारियों के निर्देश पर कर सकते हैं-

(क) बाजार समिति के खाते और कार्यालयों का निरीक्षणकरना या कराना;

(ख)बाजार समिति के मामलों की जांच करना;

(ग) ऐसी समिति द्वारा संधारित किसी भी रिटर्न, स्टेटमेंट, लेखा या प्रतिवेदनमांगा जा सकता है; जो उपयुक्त समझे।

(घ) बाजार समिति के विचारार्थ आवश्यकता -

(i) समिति के द्वारा या उसकी ओर से किए जा रहे या किए जाने वाले किसी भी कार्य मे अवैधता या अक्षमता या असंगतता उनके समक्ष प्रकट होने पर आपति करना;

(ii) ऐसी समिति द्वारा किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ऐसी कोई भी सूचना जो वह प्रस्तुत करने में सक्षम है और जो उसे प्रतीत होता है, और

(iii) इस तरह के काम करने या न करने का कारण बताते हुए उचित समय के भीतर उन्हें लिखित जवाब देना।

(ड.) लेकिन यदि कोई कार्य जो किया जाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है, उसे निर्धारित समय के भीतर करने का निर्देश देना।

(2) जब किसी बाजार समिति के मामलों की जाँच इस धारा के तहत की जाती है या किसी बाजार समिति की कार्यवाही की जाँच प्रबंध निदेशक द्वारा धारा-124 के तहत की जाती है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य सभी अधिकारी और सेवक और ऐसे बाजार समिति के सदस्य आवश्यकतानुसार प्रबंध निदेशक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कोजैसा भी मामला हो, मामलों या कार्यवाही के संबंध में उनके पास उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

(3) धारा-125 के तहत किसी भी बाजार समिति की कार्यवाही की जांच करने वाले या उप-धारा (1) के अधीन बाज़ार समिति के मामलों की जाँच करने वाले अधिकारी या निदेशक या झारखंड सरकार बाजार समिति के अधिकारी या सदस्य (यों) को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और सबूत देने के लिए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत सिविल कोर्ट के मामले में प्रदान किए जाने वाले तरीके से और जहां तक संभव हो, उसी तरीके से दस्तावेजों प्रस्तुत करनेके लिए उन्हें मजबूर करने की शक्ति होगी।

(4) जहाँ प्रबंध निदेशक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बाज़ार समिति की खातों और अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट होने की

संभावना है या बाज़ार समिति के धन या संपति के दुर्विनियोग किए जाने या गलत होने की संभावना है, प्रबंध निदेशक स्वयं के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कोबाजार समिति के ऐसी खातों और अभिलेखों, कोष और संपति को जब्त करने और कब्जा करने और बाजार समिति के ऐसे खातों और अभिलेखों, कोष और संपति की निगरानी के लिए जिम्मेदार बाजार समिति के अधिकारी (ओं) को इन सभी को प्राधिकृत व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए लिखित रुप से निर्देश दे सकता है।

उपाध्यक्ष या बाजार समिति के सदस्य को हटाने के लिए निदेशक की शक्तियाँ

118 (1) निदेशक अध्यक्ष के परामर्श से उपाध्यक्ष और बाजार समिति के सदस्यों को हटा सकता है जहां वह कार्य के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि:

(क) उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कदाचार या कर्तव्य की घोर लापरवाही का दोषी है;

(ख) उपाध्यक्ष या सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रखता हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत हटाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(3) निदेशक इस प्रकार से या उप धारा (1) में यथोचित परिवर्तन करके, किसी भी उपाध्यक्ष या किसी बाजार समिति के सदस्य और जिसके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई हो और जो इस तरह के नोटिस की सेवा के बाद अनियमितता करता हो, शिकायत की प्राप्ति की तारीख या निदेशक द्वारा अनियमितताओं की सूचना देने की तारीख से लेकर उनके मामले में अंतिम निर्णय लेने तक की अवधि में, उप धारा (1) या उप धारा (2) के तहत जैसा भी मामला हो, निलंबित कर सकता है।

बाजार समिति का अधिक्रमण

119 जहां निदेशक स्वविवेक या प्रबंध निदेशक के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बाज़ार समिति अपने कार्यों के निष्पादन या अपने कर्तव्यों का निर्वहन में विफल रही है या इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के परे जा कर कार्य किया है या दुरुपयोग किया है, झारखंड सरकार के साथ पूर्व परामर्श पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बाजार समिति का अधिक्रमण कर सकता है:

परन्तुक कि जब तक निदेशक ने बाजार समिति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया हो, तब तक अधिक्रमण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

बाजार समिति के अधिक्रमण का परिणाम

120 धारा 119 के तहत एक बाजार समिति का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचना प्रकाशन से, निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित होंगे:

(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी बाजार समिति के सदस्य, अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होने के साथ, अपने पदछोड़ देंगे।

(II) झारखंड सरकार या निदेशक धारा-17 के तहत एक नई बाजार समिति के गठन के लिए कदम उठाने हेतु निदेश देंगे और जब तक धारा-17 के तहत एक नई बाजार समिति का गठन किया जाता है, तब तक निदेशक बाजार समिति के कार्यों को करने के लिए, अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए, जैसा उपयुक्त हो व्यवस्था करेंगे, और इस प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के तहत, बाजार समिति और उसके अध्यक्ष के सभी कार्य, शक्तियों और कर्तव्यों के निष्पादन हेतु, क्रियान्वयन और निर्वहन निदेशक द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में नियुक्त ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किए जाने के लिए निदेशित करेंगें, एवं ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को जैसा कि मामला हो, बाजार समिति या अध्यक्ष माना जा सकता है।

बोर्ड का अधिक्रमण

121 जहाँ झारखंड सरकार का मत है कि बोर्ड अपने कार्यों के निष्पादन या अपने कर्तव्यों का निर्वहन में विफल रही है या इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के परे जा कर कार्य किया है या दुरुपयोग किया है, यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अधिक्रमण कर सकता है

परन्तुक कि जब तक झारखंड सरकार ने बोर्ड को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक अधिक्रमण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

बोर्ड के अधिक्रमण का परिणाम

122 धारा 121 के तहत एक बोर्ड का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचना प्रकाशन से, निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित होंगेः

(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सभी सदस्य, अधिसूचना के प्रकाशन कीतारीख से प्रभावी होने के साथ, अपने पद छोड़ देंगे।

(ii) झारखंड सरकार धारा-86 के तहत एक नए बोर्ड के गठन के लिए कदम उठाने हेतु निदेश देंगे और जब तक धारा-86 के तहत एक नई बोर्ड का गठन किया जाता है, तब तक झारखंड सरकारबोर्ड के कार्यों को करने के लिए, अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए, जैसा उपयुक्त हो व्यवस्था करेगी, और इस प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के तहत, बोर्ड और उसके अध्यक्ष के सभी कार्य, शक्तियों और कर्तव्यों का निष्पादन, क्रियान्वयन और निर्वहन झारखंड सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में नियुक्त ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किए जाने के लिए निदेशित करेगी, एवं ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को जैसा कि मामला हो, बोर्ड या अध्यक्ष माना जा सकता है।

बाजार समिति उपविधियों में

123 (1) यदि यह निदेशक को प्रतीत होता है, कि कृषि विपणन के हित में

संशोधन हेतु निर्देश के लिए निदेशक की शक्ति।

किसी भी उप-नियम को लागू करना या किसी मौजूदा उप- नियम (ो) में संशोधन करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा संबंधित बाजार समिति को उप- नियम बनाने या मौजूदा उप- नियम (ो) में संशोधन के लिए निदेशित कर सकता है।

(2) यदि बाजार समिति विनिर्दिष्ट समय के अंदर इस तरह के उपविधि बनाने या मौजूदा उपविधि (ो) में संशोधन करने में विफल रहती है, तो बाजार समितिको कारण बताने का एक उचित अवसर देने के बाद, निदेशक ऐसा उप-नियम बना या मौजूदा उपविधि (ो) में संशोधन कर सकता है और इसके बाद उप-धारा (3) के तहत किसी भी आदेश के अधीन बने ऐसे नए उपविधि (ो) और इस तरह के संशोधित उपविधि (ो) को इस अधिनियम या नियमन के प्रावधान के अनुसार बाजार समिति द्वारा बनाया या संशोधित किया गया माना जाएगा और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम बाजार समिति के लिए बाध्यकारी होंगे।

(3) उप-नियम (2) के तहत निदेशक के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील आदेश और निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर झारखंड सरकार के समक्ष दायर करना होगा और ऐसे अपील पर झारखंड सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बाजार समिति द्वारा किए गए प्रस्ताव या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन पर रोक लगाने के लिए प्रबंध निदेशक की शक्ति

124 (1) प्रबंध निदेशक स्वविवेक पर, या प्राप्त प्रतिवेदन या शिकायतों पर, आदेश द्वारा, बाजार समिति या उसके अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित किए गए संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन पर रोक लगा सकता है, यदि उनको प्रतीत होता है कि इस तरह का संकल्प सार्वजनिक हित के लिए पूर्वाग्रही है, या किसी भी बाजार प्रांगण या उपबाजारप्रांगण में व्यापार के कुशल संचालन में बाधा की संभावना है या इस अधिनियम या इसके तहत नियमों या उपविधि के प्रावधानों के विरुद्ध है।

(2) जहां उप-नियम (1) के तहत किए गए किसी आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या आगे क्रियान्वयन निषिद्ध किया गया है और यह लागू है, यदि प्रबंध निदेशक के लिए आवश्यक हो, तो यह बाजार समिति का कर्तव्य होगा, ऐसी कार्रवाई जिसके लिए बाजार समिति अधिकृत है यदि ऐसा संकल्प या आदेश पारित नहीं किया गया या नहीं दिया गया जो अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक को संकल्प या आदेश के तहत कुछ भी करने या रोकने के लिए आवश्यक है।

बाजार समिति और प्रबंध निदेशक / निदेशक को कार्यवाही के लिए बुलाने की शक्ति

125 (1) किसी भी लिए गए निर्णय या पारित आदेश की वैधानिकता और उपयुक्तता हेतु तथा बाजार समिति या निदेशक/प्रबंध निदेशक की कार्यवाही की नियमितता के रूप में, जैसा कि मामला हो सकता है,

निदेशक/प्रबंध निदेशक, स्वववेक से या उनके पास किए गए आवेदन पर, किसी भी बाजार समिति को कार्यवाही हेतु बुला सकते हैं और जांच कर सकते हैं एवं झारखंड सरकार, अपने प्रस्ताव पर, या उनके पास किए गए आवेदन पर, जैसा भी मामला हो, स्वयं को या स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, निदेशक/प्रबंध निदेशक की कार्यवाही हेतु बुला सकते हैं और जांच कर सकते हैं। यदि किसी भी मामले में, यह निदेशक / प्रबंध निदेशक या सरकार को प्रतीत होता है कि इस तरह के किसी भी निर्णय या आदेश या कार्यवाही को संशोधित किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए, उलट दिया जाना चाहिए, या पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए या वह ऐसा आदेशपारित कर सकता है जैसे उचित हो।

परन्तुक कि इस धारा के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए सरकार को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से साठ दिनों के भीतर आवेदित किया जाएगा, जिस दिन वह निर्णय या आदेश जिस पर संबंधित आवेदन आवेदक को सूचित किया गया था।

प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना इस तरह का कोई आदेश उप-धारा (1) के तहत पारित नहीं किया जाएगा।

(2) सरकार, बाज़ार समिति/निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा उप-धारा (1) के तहत उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिए गए निर्णय या आदेश के निष्पादन को निलंबित कर सकता है।

नुकसान, बर्बादी या हेराफेरी आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की देयता।

126 (1) इस अधिनियम की धारा-117 के अंतर्गत यदि पूछताछ या निरीक्षण के दौरान या अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या आरोपीजिसे बाजार समिति का प्रबंधन सौंपा गया था, बाजार समिति के मृतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रभारी अधिकारी,या बाजार समिति का कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारीया सरकार/प्रशासन के एक अधिकारी ने इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों के प्रावधानों के विपरीत किसी भी प्रयोजन के लिए पुष्टिकर मतदान या संबंधित कार्यवाही में सम्मिलित होकर या स्वीकृति या सहमति के द्वारा इस तरह की समिति से संबंधित या इसके नियंत्रण में किसी भी प्रकार का भुगतान या किसी भी पैसे या अन्य संपति को हड़पा हो या इस हेतू निदेशित किया हैया घोर लापरवाही या कदाचारके कारण हुए किसी भी तरह की कमी या नुकसान हुआ है या बाजार समिति से संबंधित किसी भी पैसे या अन्य संपति के दुर्विनियोगया धोखे से कब्जे में रखा गया है, निदेशक/प्रबंध निदेशक स्वविवेक पर या बाजार समिति के आवेदन पर, खुद से पूछताछ कर सकते हैं या अपनेअधीनस्थ किसी भी अधिकारी को आदेश द्वारा विधिवत प्राधिकृत करते हुए इस मामले में लेखापरीक्षा की प्रतिवेदन, पूछताछ या निरीक्षण जैसा कि मामला हो, के दो वर्ष के भीतर ऐसे व्यक्ति के आचरण के बारे में पूछताछ करने के

लिए लिखित रूप से निदेशित कर सकते है।

(2) यदि उप-धारा (1) के तहत की गई पूछताछ पर, निदेशक/प्रबंध निदेशक संतुष्ट हो कि उसके अधीन आदेश का औचित्य है, तो वह ऐसे व्यक्ति या आरोपी व्यक्ति के मामले में, उनके वैधानिक प्रतिनिधि जो उनके संपति के उत्तराधिकारी होते हैंको पैसे या संपत्ति या किसी भी हिस्से को उचित दर पर ब्याज के साथ, चुकाने या अंशदान और जैसा कि उचित और न्याय संगत हो लागत या उस सीमा तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए आदेश दे सकते हैं।

परन्तुक इस उपधारा के तहत कोई भी आदेश तब तक नहीं पारित किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को इस मामले में सुनवाई हेतु उपयुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

परन्तुक कि आरोपी के वैधानिक प्रतिनिधि की देयता ऐसे वैधानिक प्रतिनिधि कोविरासत में प्राप्त आरोपी के संपति तक होगी।

(3) उप-धारा (2) के तहत किए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति,आदेश के संप्रेषण की तिथि से तीस दिनों के भीतर, सरकार / प्रशासन से अपील कर सकता है और बाद का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगाः

परन्तुक कि सीमा की गणना करने में, आदेश के प्रति अपील प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।

(4) उप-धारा(2) या उप-धारा(3) के तहत पारित कोई आदेश कानून की किसी भी अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।

(5) उप-धारा(2) या उप-धारा(3) के तहत किया गया कोई भी आदेश, निदेशक/प्रबंध निदेशक के आवेदन पर, किसी भी स्थानीय न्यायाधिकार के सिविल कोर्ट द्वारा इस तरह के न्यायालय के एक फरमान तरह से लागू किया जाएगा, या इस तरह के आदेश द्वारा भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि को भू राजस्व के बकाया की तरह सेवसूला जा सकता है।

अनुसूची में संशोधन के लिए सरकार / प्रशासन की शक्ति। 127 झारखंड सरकार, अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उपज के किसी भी वस्तु को अधिसूचना द्वारा जोड़ या संशोधित या हटा सकती है, और उसके अनुसार अनुसूची में संशोधन किया गया माना जाएगाः

परन्तुक कि गजट में पूर्व सूचना, जो 30 दिनों से कम नहीं होगा जैसा की झारखड सरकार इस तरह की अधिसूचना जारी करने के अपने इरादे के बारे में उचित विचार कर सकता है, के प्रकाशन के बिना इस धारा के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

दिशा/निर्देश देने के लिए सरकार / प्रशासन की शक्ति। 128 (1) झारखंड सरकार बोर्ड और बाजार समितियों को निर्देश दे सकता है।

(2) बोर्ड और बाजार समितियाँ उप-धारा (1) के तहत सरकार/प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी।

बोर्ड / बाजार समिति के बकाया रकम की वसूली	129	इस अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या उपविधि के प्रावधान के तहत बाजार समिति या बोर्ड का किसी प्रकार का बकाया कर,लागत, खर्च, शुल्क, किराए और किसी अन्य बकाया के लिए कोई भी राशि भूमि राजस्व के बकाया वसूली की प्रक्रिया के अनुसार वसूलनीय होगी।
बाजार समिति और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और सेवक इत्यादि लोक सेवक होंगे	130	भारतीय दंड संहिता की धारा 21, 1860 (1860 का नंबर 45) के तहत बाजार समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अन्य अधिकारी और सेवक और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य सेवक को लोक सेवक माना जाएगा।
सरकार / प्रशासन द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन	131	झारखंड सरकार धारा 136 के तहत नियम बनाने की शक्तियों के अलावा उस पर या अधिनियम के तहत प्रदत्त कोई भी शक्ति, झारखंड सरकार के किसी भी अधिकारी, जो निदेशक के पद से नीचे नहीं हों, को सौंप सकता है। इस धारा के तहत प्रत्यायोजित अधिकारी अपनी शक्तियों को झारखंड सरकार के किसी भी अधिकारी, जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में उप निदेशक या भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून को सौंप सकता है।
सिविल मुकदमा से रोक और अच्छे नीयत से कार्य करने वाले व्यक्ति को संरक्षण	132	इस अधिनियम या नियम या उपविधि के तहत अच्छी नीयत में किए गए किसी भी मामले के संबंध में, निदेशक/प्रबंध निदेशक या झारखंड सरकार के अधिकारी के खिलाफ या बोर्ड या किसी बाजार समिति के खिलाफ या बोर्ड या किसी बाजार समिति के किसी अधिकारी या सेवक के खिलाफ यानिदेशक/प्रबंध निदेशक या समिति या वैसे अधिकारी के निर्देशों के अनुसार काम करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही नहीं होगा।
सूचना के अभाव में मुकदमा करने पर रोक	133	अधिनियम की किसी भी धारा के बावजूद, बोर्ड या किसी भी बाजार समिति के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि कारण को स्पष्ट करते हुएवादी का नाम और निवास स्थान के बारे में बताते हुए लिखित नोटिस के बाद दो महीने की अवधि तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कथित कारण या कार्रवाई की तारीख से छह महीने के भीतर वाद दायर नहीं किये जाने पर ऐसे मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा।
जानकारी और सहायता देने के लिए स्थानीय प्राधिकरण का	134	यह प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह अपने अधिकारियों के पास यानियंत्रण में उस क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज की

कर्तव्य		स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के अंदर और बाहर आवाजाही से संबंधित सभी सूचनाओं को बिना किसी भी शुल्क के बाजार समिति या उसके प्राधिकृत अधिकारियों को प्रदान करे। चुंगी के संग्रह से संबंधित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों का यह कर्तव्य भी होगा कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाजार समिति के किसी भी अधिकारी को हर संभव सहायता दे।
अधिनियम को अनौपचारिकता, रिक्ति आदि द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता	135	इस अधिनियम के तहत बोर्ड, बाजार समिति या बोर्ड द्वारा नियुक्त उप समिति द्वारा, की गई कारवाई या कार्यवाही को निम्न के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता (क) बोर्ड या उप-समिति के गठन में कोई रिक्ति या दोष; या (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष या अनियमितता; या (ग) ऐसे अधिनियम या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता, तथ्यों को प्रभावित नहीं करते।

अध्याय XIII

नियम और उपविधि

नियम बनाने की शक्ति	136	(1) झारखंड सरकार, पूर्व प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जा सकते हैं- (i) धारा-8 और 9 के तहत क्रमशः वार्षिक प्रवाह क्षमता तथा आय और आधारभूत संरचना के आधार पर "विशेष वस्तु बाजार प्रांगण (ksa) और राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण (ksa) (एम0एन0आई0) की घोषणा और इसके लिए बाजार समिति का गठन; (ii) धारा-14 (4) के तहत वार्षिक प्रवाह क्षमता तथा आय और आधारभूत संरचना के आधार पर बाजार समिति का वर्गीकरण; (iii) धारा-17 (1) के तहत प्रथम बाजार समिति और उसके बाद के बाजार समिति के गठन की प्रक्रिया तथा प्रतिनिधियों की योग्यता ; (iv) उपाध्यक्ष, किसान सदस्य और बाजार समिति के अन्य सदस्यों के चुनाव और इसके लिए सीटों का आरक्षण; (v) बाजार समिति की बैठक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की छुट्टी, कोरम और बाजार समिति के कर्तव्य और शक्तियां; (vi) धारा-42 के तहत उप-समिति की नियुक्ति और शक्तियों का

प्रत्यायोजन; धारा-48 के तहत अनुबंध करने की विधि और धारा 50 के तहत बाजार समिति के सचिव की नियुक्ति;

(vii) सभी भार और मापकों और बाजार के प्रांगण में उपयोग में आने वाले भारक और मापक उपकरणों का समय-समय पर निरीक्षण;

(viii) धारा-51 के तहत बाजार समिति के सचिव की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य, बाजार समिति के लेखापाल और कर्मचारियों की युक्ति, उनके वेतन, भते और पेंशन आदि।

(ix) धारा-64 (2) के उपनियम (प) के तहत बिक्री की मात्रा का निर्धारण;

(x) बाजार शुल्क की वसूली के लिए प्रक्रिया, बाजार शुल्क की चोरी के लिए जुर्माना और रिटर्न भरने मे चूक के लिए शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया;

(xi) धारा-69 के तहत व्यापारी के अलावा अन्य बाजार प्रतिभागियों के अनुज्ञप्ति की स्वीकृति / नवीनीकरण / निलंबन/ रद्द करना;

(xii) धारा-70 एवं 71 के तहत एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति के स्वीकृति / नवीनीकरण / निलंबन / रद्द करने की प्रक्रिया

(xiii) धारा-72 के तहत अंतर-राज्य व्यापार के लिए एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति अनुमति देने की प्रक्रिया और इसकी काली सूचीकरण।

(xiv) निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना एवं प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति / नवीनीकरण / निलंबन / रद्द करने की प्रक्रिया;

(xv) थोक तदर्थ खरीदारों के पंजीकरण की प्रक्रिया और शर्त;

(xvi) वेयरहाउस / कोष्ठागार / शीत भंडारण या अन्य उप संरचना या स्थान को बाजार उप-प्रांगण घोषित करने की प्रक्रिया और नियम;

(xvii) उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान जिनके द्वारा और प्रपत्रों की प्रतियां और दस्तावेजों की प्रविष्टियों को बाजार समिति की लेखाबही में प्रमाणित किया जा सकता है और ऐसी प्रतियों की आपूर्ति के लिए लगाया जाने वाला शुल्क;

(xviii) एक बाजार प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज में किसी भी लेनदेन में किसी भी व्यक्ति द्वारा बकाया या प्राप्त किया जा सकने वाला व्यापार भत्ता;

(xix) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच और अनुज्ञप्तिधारियों और बाजार समिति के बीच विवाद निपटान का तरीका;

(xx) अधिसूचित कृषि उपज के एक खरीदार और विक्रेता या उनके एजेंटों के बीच विवादों,, जिनमें वस्तुओं की गुणवत्ता या वजन के बारे में विवाद, बेची गई वस्तुओं की कीमत के संबंध में भुगतान और रैपिंग, कंटेनरों, गंदगी या अन्य अशुद्धियाँ के लिए देय राशि या मध्यस्थता, मध्यस्थता या अन्यथा किसी भी कारण से कटौती; समाधान हेतु व्यवस्था।

(xxi) बाजार समिति के खर्च पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निर्मित किए जाने वाले कार्यों के लिए योजनाओं और प्राक्कलनों की तैयारी, और

ऐसी योजनाओं और अनुमानों को मंजूरी प्रदान करना;

(xxii) वह प्रपत्र, जिसमें किसी बाजार समिति के खातों को संधारित किया जाएगा, ऐसे अंकेक्षण का लेखा-जोखा और प्रकाशन और लेखा के अंकेक्षण ज्ञापन का निरीक्षण और इस तरह के ज्ञापन की आपूर्ति;

(xxiii) बाजार समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक बजट और रिपोर्ट और रिटर्न के अनुमोदन के लिए तैयारी और प्रस्तुत करना और धारा-97 (2) (अ) के तहत बोर्ड के खातों के रखरखाव से संबंधित मुद्दें;

(xxiv) समय और प्रक्रिया, जब एक व्यापारी या कमीशन एजेंट बाजार समिति को, जैसा आवश्यक हो, रिटर्न प्रस्तुत करेगा;

(xxv) निजी क्षेत्र और गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के संवर्धन सहित गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रक्रिया। विपणन निदेशालय के तकनीकी सदस्य के साथ समिति का पुनर्गठन एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के संवर्धन हेतु निरीक्षण।

(xxvi) ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना;

(xxvii) बाजार समिति और अन्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कृषि उपज की आवक और कीमतों का रिकॉर्ड रखना;

(xxviii) वैसी प्रक्रिया, जिससे ई-नीलामी सहित कृषि उपज की नीलामी का आयोजन एवं बोली स्वीकार की जाएगी;

(xxix) इस अधिनियम के द्वारा या उसके तहत देय शुल्क की वसूली और निपटान;

(xxx) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों के तहत अपराधों की भरपाई और उसके तहत मुआवजा तय करना;

(xxxi) राज्य कृषि विपणन सेवाओं के गठन की प्रक्रिया

(xxxii) राज्य कृषि विपणन सेवा के सदस्यों की भर्ती, योग्यता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश, अवकाश भत्ता, कार्यकारी भत्ता, ऋण, पेंशन, ग्रेच्युटी, वार्षिकी, अनुकंपा निधि, बर्खास्तगी, निष्कासन, आचरण, विभागीय दंड, अपील और अन्य सेवा शर्तें

(xxxiii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने आदि के लिए मानदेय, परिवहन भत्ता, बैठक शुल्क और किसी भी अन्य भुगतान की सीमा;

(xxxiv) बाजार समिति कोष में अधिशेष के निवेश का तरीका;

(xxxv) निजी बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा योगदान (जमा राशि) के नियम और शर्तें और बाजार विकास कोष के प्रत्यक्ष विपणन और उसके बाद व्यय;

(xxxvi) उपविधियों, उनके संशोधनों या रद्द करने और उनके पूर्ववर्ती और अंतिम प्रकाशन के लिए प्रक्रिया

(xxxvii) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल;

(xxxviii) बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ;

(xxxix) इस अधिनियम के तहत नियमों द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए आवश्यक सभी मामले;

(xl) इस अधिनियम के तहत सूचना तामिला तरीका;

(xli) बाजार समिति का सामान्य मार्गदर्शन।

(3) कोई भी नियम बनाने में, झारखण्ड सरकार/प्रशासन निर्देश दे सकती है कि इसके उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।

(4) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को विधान सभा की पटल पर रखा जाएगा।

उपविधि बनाने की शक्ति

137 (1) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, एक बाजार समिति अपने प्रबंधन के तहत एक प्रमुख बाजार प्रांगण और सब-बाजार प्रांगण के संबंध में, उपविधि बना सकती है।

(i) बाजार समिति के व्यवसाय का नियमन;

(ii) एक प्रमुख बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण में व्यापार की स्थिति;

(iii) अधिकारियों और सेवकों को शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का प्रत्यायोजन, नियुक्ति; वेतन, सजा, पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी, भते, उनके द्वारा किसी भी भविष्य निधि में योगदान जो ऐसे अधिकारियों और सेवकों के लाभ के लिए स्थापित किया जा सकता है, और सेवा की अन्य शर्तें;

(iv) किसी उप-समिति को कर्तव्यों और कार्यों काशक्ति प्रदत, यदि कोई हो;

(v) व्यापारियों के अलावा, बाजार के प्रतिभागी, जिन्हें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक होगा;

(vi) ई-व्यापार के लिए और गतिविधियों और सेवाओं से संबंधित प्रावधानों को सक्षम और नियमित करना;

(vii) इस अधिनियम के तहत कोई अन्य मामले जिनके लिए उपविधि बनाए जाने हैं या इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उपविधि को लागू करना आवश्यक हो सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी उपनियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।

(3) किसी भी उपविधि को बनाने के क्रम में बाजार समिति यह निर्देश दे सकती है कि इसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि दो हजार रुपये तक हो सकता है और जहां पहले के बाद उल्लंघन आगे चलकर

लगातार होता है, तो जुर्माना दो सौ रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है।

अध्याय XIV

निरसन और बचाव

निरसन और बचाव

138 (1) झारखंड राज्य कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 2000 को अंगीकृत करने सम्बन्धी अधिसूचना 153 दिनांक 27.01.2001 यथा अद्यतन संशोधित को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद-

(i) निरसन इस प्रकार से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, और किसी भी ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत या द्वारा कुछ भी कृत या किए गए कार्रवाई (किसी भी नियुक्ति, किए गए प्रत्यायोजन या घोषणा, अधिसूचना, नियम के तहत, जारी निदेश या नोटिस, गठित उपविधियाँ, घोषित स्थापित या अधिसूचित किए गए बाजार क्षेत्र, बाजार, उप-बाजार और प्रांगण, दिए गए अनुज्ञप्ति, लगाए गए और एकत्र किए गए शुल्क, निष्पादित साधन, किसी भी निधि की स्थापना या गठन सहित), जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, को इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया है या लिया गया माना जाएगा, और जब तक इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य या किसी भी कार्रवाई से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक लागू रहेगा;

(ii) झारखंड सरकार, जैसा कि यह आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, अधिसूचना के द्वारा इस तरह के प्रावधान कर सकता है-

(क) निरस्त अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना, आदेश, नियमों से विलोपन, जोड़ने और संशोधनों और अनुरुपण और संशोधनों के लिए; तथा

(ख) प्राधिकरण, अधिकारी या व्यक्ति, जो किसी भी निरस्त अधिनियम या किसी भी नियम, अधिसूचना और आदेश के तहत प्रयोग किए जाने वाले ऐसे कार्यों को, जो उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किए जा सकते हैं, को निर्दिष्ट करने के लिएसक्षम होगा।

(iii) जब तक झारखंड सरकार अन्यथा निर्देश न दे, बाजार समिति उपनियम (प) निर्दिष्ट होगा और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके सदस्य निरस्त अधिनियम के तहत उनके कार्यावधि समाप्ति या एक बाजार समिति के गठन तक, जो भी पहले हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यरत रहेंगे।

(iv) उप धारा (2) के उपनियम (ii) के तहत एक निदेश जारी करने पर, यदि बाजार समिति उस तिथि को भंग हो गई हो, धारा के प्रावधान उस निदेश में निर्दिष्ट तिथि से लागू होंगे।

कठिनाई को दूर करने की शक्ति

139 यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो झारखंड सरकार तत्काल आवश्यकतानुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले आदेश के द्वारा, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक या समीचीन कारवाई कर सकती है।

उद्देश्य एवं प्रयोजन

झारखण्ड राज्य के किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उनकी आय में वृद्धि हेतु राज्य में कृषि विपणन में व्यापक सुधार एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से **"एक देश एक बाजार"** की परिकल्पना को साकार करने, राज्य के कृषकों को आधुनिक विपणन व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विपणन व्यवस्था के साथ कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी भागीदारी तथा कृषकों को बाजार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम की आवश्यकता है।

मॉडल एक्ट प्रारूप, 2017 में कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करने की आवश्यकता है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु **झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2022** तैयार किया गया है। इसके तहत सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। जिससे ग्रामीण हाट/बाजारों का आधुनिकरण एवं आधारभूत संरचनाओं के साथ नए बाजारों की स्थापना कर किसानों को प्रत्येक 10 किलोमीटर पर बाजार की व्यवस्था की जा सकेगी।इसे अधिनियमित करते हुए कृषकों एवं पशुपालकों को सुदृढ़ व सशक्त करना इस विधेयक का अभिष्ट है।

बादल
(भारसाधक सदस्य)

झा०रा०मु०राँची (विधि)19(A)--220--11-03-2022 ।